रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 136] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 5, 1982/चैत्र 15, 1904
No 136] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 5, 1982/CHAITRA 15, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1982

का.आ. 238(अ).—केन्द्रीय सरकार, डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1981 (सं. 1981 का 31) की धारा 2 की उपधारा (छ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा 31 मार्च, 1982 को अधिनियम की धारा 15 के खण्ड (1) के प्रयोजन के लिये तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 9-23/81-सीमेंट-वेल्यूम-4]

सी. के. मोदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 1982

S.O. 238(E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of section 2 of the Dalmia Dadri Cement Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1981, the Central Government hereby specifies the 31st day of March, 1982, as the date for the purpose of clause (1) of section 15 of the Act.

[No. 9-23/81-Cem. Vol. IV]
C. K. MODI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1982

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72

REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 137] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 5, 1982/चैत्र 15, 1904
No. 137] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 5, 1982/CHAITRA 15, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

16/8/82

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

आदेश संख्या 1/82

खुला सामान्य लाइसेंस संख्या 1/82

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1982

का० आ० 239(अ).—आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दक्षिणी अफ्रीका/दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका संघ को छोड़ कर, किसी भी देश से भारत में कच्चे माल और संघटकों को वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन आयात करने की सामान्य अनुमति देती है :—

(1) आयात की जाने वाली मदें आयात एवं निर्यात नीति 1982-83 के परिशिष्ट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 15 के अन्तर्गत नहीं आती है ।

(2) इस लाइसेंस के अधीन उपकरण आयात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(3) कच्चे माल एवं संघटक वास्तविक उपयोक्ता शर्तों के अधीन हों अर्थात् सम्बद्ध वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) के खुद के उपयोग के लिए अपेक्षित हों ।

(4) वास्तविक उपयोक्ता इस लाइसेंस के अधीन आयात की गई मदों के उपभोग एवं उपयोग का निर्धारित प्रपत्र एवं विधिनुसार उचित लेखा रखेगा और ऐसे लेखे को लाइसेंस प्राधिकारी या अन्य सरकारी प्राधिकारी को उनके द्वारा विनिर्दिष्टकृत समय के भीतर प्रस्तुत करेगा ।

(5) माल की निकासी के समय, वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) वास्तविक उपयोक्ता के रूप में सम्बद्ध प्राधिकरण के पास अपने औद्योगिक लाइसेंस/पंजीकरण अर्थात्, औद्योगिक लाइसेंस/पंजीकरण की संख्या और तारीख और विनिर्माण के उत्पाद

(उत्पादों) के विवरण देते हुए और इस बात की पुष्टि करते हुए कि सीमा शुल्क प्राधिकारी को एक घोषणा पत्र भेजेगा कि (1) ऐसा लाइसेंस/पंजीकरण रद्द नहीं किया गया है या वापस नहीं लिया गया है उसे अन्यथा रूप से प्रभावहिन नहीं किया गया है और (2) इस लाइसेंस के अन्तर्गत आयानित मद उनके औद्योगिक लाइसेंस/सम्बन्धित प्रायोजक प्राधिकारी के पास उनके औद्योगिक एकक के रूप में पंजीकरण की नियम और शर्तों और उनके अनुमोदित चरणबद्ध विनिर्माण प्रोग्राम के बिल्कुल अनुसार है। प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा अलग से लाइसेंस पंजीकरण संख्या नहीं दी गई है, आयातक को सीमा-शुल्क प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए इस संबंध में अन्य प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे कि वह लाइसेंसधारी है/औद्योगिक एकक के रूप में पंजीकृत हैं और आयात करने के लिए पात्र है। माल की निकासी के समय, वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) यदि कोई हो, तो प्रायोजक प्राधिकारी या अन्य सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा उनके लिए अनुमोदित चरणबद्ध विनिर्माण प्रोग्राम की एक प्रमाणित प्रति भी भेजेगा।

(6) जिन वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) के पास प्रायोजक प्राधिकरणों के अस्थायी पंजीकरण हैं, वे भी इस लाइसेंस के अधीन कच्चे माल और संघटक आयात करने के लिए पात्र होंगे।

(7) जिन वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) के पास प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ऐसा पंजीकरण प्रमाण-पत्र है जिसे विशेष रूप से "प्रस्तावित" चिह्नित किया गया है तो वे भी कच्चे माल, संघटकों और उपभोज्यों का आयात करने के लिए इस लाइसेंस के अधीन पात्र हैं, परन्तु उनके मामले में वास्तविक उपयोक्ता की ओर से राज्य औद्योगिक विकास निगम या राज्य वित्त निगम को आयात की अनुमति केवल तब होगी जब निकासी के समय यह साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए कि सम्बद्ध वास्तविक उपयोक्ता ने आयातित माल के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के 25 प्रतिशत के बराबर मूल्य के लिए बैंक गारन्टी के साथ इस सम्बन्ध में एक बान्ड भेजा है कि वास्तविक उपयोक्ता उत्पादन करने वाले यूनिट के समर्थन में प्रायोजक प्राधिकारी से एक प्रमाण-पत्र सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(8) बड़े पैमाना क्षेत्र के सभी औद्योगिक एकक इस लाइसेंस के अधीन आयात की गई मदों के ब्यौरे और मूल्य को दर्शाते हुए मद के लिए यथा उपयुक्त एक आवधिक विवरण, महानिदेशक, तकनीकी विकास, नई दिल्ली या अन्य सम्बद्ध प्राधिकारियों और इलैक्ट्रानिक विज्ञान को भेजेंगे। लघु पैमाना क्षेत्र के औद्योगिक एककों को उसी प्रकार के विवरण सम्बद्ध क्षेत्रीय आयात लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजने चाहिएं। ये विवरणी 30 सितम्बर, 1982 और 31 मार्च, 1983 के अनुसार भेजे जाएंगे। ऐसा प्रत्येक विवरण दर्शाई गई अवधि के समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर भेजा जाएगा।

(9) ये लाइसेंस आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की अनुसूची-5 की शर्त-1 के अधीन भी होंगे।

(10) मानव निर्मित रेशों, मोटे सन और तागों के सम्बन्ध में पात्र आयातकों को अपनी संविदाएं वस्त्र आयुक्त, बम्बई के पास पंजीकृत करवानी चाहिएं। आयात तभी किए जाएंगे जब संबंधित संविदाओं पर वस्त्र आयुक्त, बम्बई द्वारा ऐसे पंजीकरण के साक्ष्य के रूप में मोहर लगा दी गई हो। इस उद्देश्य के लिए संविदा की दो प्रतियां वस्त्र आयुक्त के पास रखी जाएंगी और वह पार्टी को एक प्रति वापस कर देगा जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत मोहर लगी होगी।

(11) जैसा कि ऊपर 10 में दिया गया है, वस्त्र आयुक्त बम्बई के पास संविदा के पूर्व पंजीकरण से संबंधित शर्त के अधीन पात्र वास्तविक उपयोक्ताओं के विवरण के लिए मानव निर्मित रेशे, मोटा सन और तागे भी इस लाइसेंस के अधीन भारतीय राज्य रसायन एवं भेषज निगम (सी० पी० सी०) द्वारा आयात किए जा सकते हैं।

(12) डी० एम० ए०/टी० पी० ए० के आयात के मामले में आयात की स्वीकृति केवल पैट्रोलियम, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) के पास पंजीकृत संविदाओं के आधार पर दी जाएगी। आयात पैट्रोलियम विभाग, नई दिल्ली द्वारा सम्बद्ध संविदाओं पर पंजीकरण के साक्ष्य के रूप में मोहर लगाने के बाद ही किए जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए संविदाओं की दो प्रतियां पैट्रोलियम विभाग के पास जमा करनी चाहिएं और वे प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत मोहर लगाने के बाद संविदा की एक प्रति पार्टी को लौटा देंगे।

(13) (1) ऊनी चिथड़ों/रद्दी ऊन/संश्लिष्ट चिथड़ों के मामले में आयातित माल की निकासी सीमा-शुल्क निकासी माल के पूर्ण विकृत होने के बाद ही दी जाएगी।

(2) इस प्रयोजन के लिए ऊनी चिथड़ों की परिभाषा इस प्रकार की गई है :—

(क) "नए" ऊनी कपड़े के अवशेष चाहे वह बुने हुए या कढ़ाई किए हुए कपड़े के हों और जो वस्त्रों की कटाई

करने के बाद बच जाते हों इनमें दर्जी द्वारा काट दिए गए वास्तविक टुकड़े, त्याग दिए गए नमूने और सैम्पल के टुकड़े भी शामिल हैं ।

(ख) "पुराने"—ऊनी कपड़े के वे चिथड़े (कटाई किए हुए और कटे से बुने हुए कपड़ों सहित) जो रद्दी यार्न के विनिर्माण के लिए आवश्यक हों और उनमें सजावटी मदें या फटे हुए कपड़े, मैले कपड़े या ऐसे कपड़े जो इस प्रकार से कट गए हैं जिनकी धुलाई या मरम्मत नहीं की जा सकती हो, शामिल हैं ।

(3) यह परिभाषा संश्लिष्ट चिथ्थड़ों के लिए आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होगी ।

(14) कच्चे काजू की गिरी के मामले में, भारतीय काजू निगम, इस सम्बन्ध में नीति के अनुसार वास्तविक उपयोक्ता (संसाधन एककों को वितरण करने के लिए इस लाइसेंस के अन्तर्गत आयात करने के लिए भी पात्र होगा ।

(15) कच्चे काजू की गिरी के मामले में, यह शर्त होगी कि आयात के लिए संविदा पक्की होने के तुरन्त बाद आयात की जाने वाली आधी मात्रा वास्तविक उपयोक्ता (संसाधन एककों) को वितरण के लिए भारतीय काजू निगम को ऐसे तरीके में सौंपी जाएगी जो समय-समय- पर सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं । आयात संविदा भी उसके निष्पादन के 7 दिनों की अवधि के भीतर भारतीय काजू निगम के पास आयातक द्वारा पंजीकृत कराई जाएगी ।

(16) इस लाइसेंस में आयात के लिए अनुमित रिरोलेबल स्क्रैप सहित कार्बन इस्पात की मदों के मामले में, पात्र आयातकों को ऐसी संविदा करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर लोहा एवं इस्पात नियंत्रक कलकत्ता या उसके किसी क्षेत्रीय कार्यालय के पास अपनी आयात संविदाओं का पंजीकरण कराना पड़ेगा । आयात केवल लोहा एवं इस्पात नियंत्रक के पंजीकरण के कार्यालय द्वारा मोहर लगाई हुई सम्बन्धित संविदाओं को ऐसे पंजीकरण के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के बाद किया जाएगा । इस प्रयोजन के लिए संविदा की दो प्रतियां लोहा एवं इस्पात नियंत्रक के पंजीकरण के कार्यालय के पास भेजी जाएगी और वह उसकी एक प्रति प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत स्टाम्प लगाकर पार्टी को लौटा देगा ।

(17) महामारी नाशक और घास-पात नाशी सहित कीटनाशक के मामलों में सम्बद्ध वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) प्रत्येक माल के परेषण की निकासी के सात दिनों के भीतर आयातित मद, उसकी मात्रा और उसके लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के ब्यौरे कृषि विभाग (वनस्पति संरक्षण विभाग) नई दिल्ली को सूचित करेगा ।

(18) इस लाइसेंस की अनुसूची में प्रदर्शित मदों से भिन्न मदों के मामले में, वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) और अन्य द्वारा इस लाइसेंस के अन्तर्गत बिक्री और स्टाक के लिए आयात किया जा सकता है ।

(19) इस लाइसेंस के अधीन आयात द्वारा सम्बद्ध औद्योगिक एकक का उत्पादन स्वीकृत प्राधिकृत क्षमता से अधिक नहीं होगा और सम्बद्ध एकक अपनी अनुमोदित चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के अनुपालन का सुनिश्चय करेंगे ।

(20) इस प्रकार आयात किया जाने वाला माल दक्षिण अफ्रीका संघ/दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में तैयार अथवा विनिर्मित नहीं किया गया हो ।

(21) इस प्रकार के माल के पोतलदान किसी भी रियायती अवधि चाहे जो कुछ भी हो, के बिना 28-2-1983 को या इससे पूर्व खोले गए अपरिवर्तनीय साखपत्रों के मद्दे 31 मार्च, 1983 को या वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) के मामले में 30 जून 1983 को या इससे पूर्व भारत के लिए परेषण के माध्यम से कर दिए जाते हों ।

(22) किसी भी माल के आवेदन पत्र पर उनके आयात पर कोई भी निषेध या विनियम जो उस माल का आयात करते समय लागू थे, प्रभावित करते हैं तो उनका इस लाइसेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(23) यह लाइसेंस किसी भी समय वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) जब अन्य कानून या विनियमों की शर्तों के अधीन आता हो उसे दायित्व या किसी आवश्यकता को अनुपालन करने से कोई उन्मुक्ति, छूट या ढील प्रदान नहीं करता है । आयातक को इसके लिए लागू सभी अन्य कानूनों का अनुपालन करना चाहिए ।

[मिसिल सं०-आई० पी० सी०/3/2/82]

खुले सामान्य लाइसेंस सं० 1/82 की अनुसूची

दिनांक : 5 अप्रैल, 1982

1. मानव-निर्मित फाइबर/यार्न
2. डी० एम० टी०/टी० पी ०ए०

3. मरकरी/मरकरी एमोनियेटिड
4. पी० वी० सी० रेजिन्स
5. रॉ वूल/गो-हेयर
6. वूलन रैग्स/सिन्थेटिक रैगस/शोडी वूल
7. रेयन ग्रेड वुड पल्प
8. नेप्थालीन क्रूड
9. पोटाशियम साईनाइड
10. पोटाशियम क्लोरेट
11. पोटाशियम फेरो-साईनाइड
12. स्टाईरीन मोनोमर
13. पी० टी० एफ० ई० फैब्रिक/फैल्ट/धागे
14. विटामिन बी 6
15. एक्रिलिक मोल्डिंग पाउडर
16. केपेसीटर टिशु पेपर
17. कंडनसर टिशु पेपर
18. क्राफ्ट/टिशु पेपर
19. इथाइल ग्लाईकोल
20. यूकिलीपट्स गम चिप्स
21. लिथो-पोन
22. पोलि-स्टाईरिन फिल्म
23. साल्वेंट्स
24. क्राईस्टैक्स/इनसालेबल सलफर सहित 20% ऑयल ट्रीटिड सल्फर
25. 99.99% शुद्धता के एल्यूमीनियम वायर/स्ट्रिप्स
26. एल्युमीनियम प्रो-फाइल्स
27. एल्यूमीनियम ऑक्साइड
28. एल्यूमीनियम ग्लाईसीनेट
29. नायलन वेस्ट (महानिदेशक, तकनीकी विकास, नई दिल्ली द्वारा यथा प्रमाणित केपरोलैक्टम की वसूली में लगे हुए वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक)
30. पेपर वेस्ट (पल्प/पेपर और पेपर बोर्ड के उत्पादन में लगे हुए वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक)
31. कार्क-वुड, कार्क वेस्ट और कार्क डस्ट और 200 मेश के कार्क पाउडर
32. हाई स्पीड स्टील
33. हाई ग्रेड मोलिबेडनम अयस्क, स्क्रेप मोलिबेडनम ऑक्साइड, मोलिबेडनम पाउडर सहित मोलिबेडनम धातु मोलिबिडिक ऑक्साइड
34. पिच
35. फासफोरिक एसिड (औद्योगिक श्रेणी को छोड़कर)
36. टारटेरिक एसिड
37. नेचुरल एसनशियल ऑयल्स
38. पी० यू० लैदर क्लॉथ
39. आयोडीन
40. जिरेनियम ऑयल
41. खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत आने वाले (इलैक्ट्रानिक संघटकों को छोड़कर) मशीनी औजार, मशीनरी, उपकरण और यंत्र तथा अन्य इंजीनियरी उत्पाद (कन्जूयमर ड्यूरेबल सहित) के सभी संघटक
42. टेप डैक मैकेनिज्म के लिए प्रैसड/पंचड मैटल पार्टस्
43. 12 वोल्ट और 20 वाट तक की रेटिंग वाली डी सी माइक्रो मोटर्स/स्टेपर मोटर्स/सर्वो मोटर्स/ए० सी० साइन-कोरबस मोटर्स के संघटक
44. रिले कनेकटर्स और स्विच्स के संघटक
45. सभी प्रकार के माइक्रो-वेव संघटक
46. आइवरी अनमैन्युफैक्चर्ड
47. नाईट्रिक एसिड
48. शेलॉक सीड लाख
49. पोलि-प्रो-पाइलीन फिल्म
50. ब्लीचिंग पाउडर और हाइपो-क्लोराइट्स
51. ब्लैक सेंटर्ड बोर्ड
52. खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत आने वाले ड्रग/ड्रग इंटरमीडिएट
53. टंगस्टन डिस्क/टंगस्टन कनटैक्ट्स
54. कासटिक सोडा
55. सोडा-ऐश
56. (1) कास्ट आयरन स्क्रैप
    (2) राट आयरन स्क्रैप
    (3) कार्बन स्टील की सभी श्रेणियों का रि-रोलेबल स्क्रैप
    (4) "टिन-फ्री" इस्पात के रूप में बाजार में बेची जाने वाली कोटिड स्टील शीट्/स्ट्रिप्स/कॉयल्स का स्क्रैप
57. टी बैग्स हीट सील/नॉन हीट सील टाइप के लिए फिल्टर पेपर [टी बैग्स के उत्पादन में लगे हुए वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक)]
58. प्रयुक्त/स्क्रैप रबड़ टायर/ट्यूब (प्रत्येक टायर/ट्यूब निर्यातक देश से पोत-लदान करने से पूर्व या सीमा-शुल्क निकासी से पूर्व कम से कम एक कट के अधीन है । — रबड़ रि-क्लेमिंग में लगे हुए वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक)
59. रबड़ ब्लैकेट्स
60. ग्लास स्क्रीन और कंटेक्ट स्क्रीन्स (ग्रे और मैगनेटा/कलर फिलर्स)
61. लिथो-ग्राफिक कोटिड प्लेट्स
62. ब्लॉक्स निर्माण में काम आने वाली कॉपर/एल्युमीनियम/माइक्रो-मैटल शीट्स
63. क्वालिटी कंट्रोल फिल्मस स्ट्रिप्स और टारगेट्स
64(1) परफोरेटिंग सिलटिंग क्रीजिंग इत्यादि के लिए लिथो-रूल्स

— प्रिंटिंग में लगे हुए (वास्तविक उपयोक्ता)

64(2) एंटी ऑफ-सैट स्प्रै पाउडर

65. कच्चे काजू

66. कीटनाशी, महामारी नाशी और घास-पात नाशी

67. ऐश, स्किमिंग, ब्लोइंग्स और ड्रोजज सहित लैड स्क्रैप

68. फैरो-निकल

69. आई० एस०-2062 या इसके समतुल्य विशिष्टिकरण के कार्बन स्टील प्लेट्स

70. शीट्स/बायलर की कायल्स/प्रैशर वैसल क्वालिटी

71. चैक्ड प्लेट्स कायल्स

72. 12 मि० मी० या इससे कम चौड़ाई की कोल्ड रोल्ड स्ट्रिप्स

73. 400 मि०मी० से अधिक के कार्बन स्टील रोल्ड ब्लूम्स

74. सभी श्रेणियों के एलाय और स्पेशल स्टील

75. डाई-मिथाईल-पोलि-सिलोआक्सेन्स फल्युड (सिली-कोन आयल)

76. ग्लाईकोल ईथर

77. फासफोरस एसिड

78. टंगस्टन साल्ट्स

79. पाइरा-जिना-माइड

80. सोडियम मिथो-जाइड

81. क्लोराइड साईन्यूरिक

82. इथाईलीन डाई-ब्रोमाइड

83. ऐसीटोन

84. ट्राई-सोनिल फिनाइल फासफाइट

85. सोडियम लारेल इथाइल सल्फेट

86. पैरा क्लोरो बैंजोइक एसिड

87. नॉयलन मोनो फिलामेंट ब्रिस्ट्ल्स

88. 4 : 4 बैंजीडाइन 2 : 2 डाई-सल्फोनिक एसिड

89. पोलिकार्बोनेट मोल्डिंग पाउडर/ग्रैन्युल्स

90. कपैरा-टरशरी ब्युटाइल फिनोल

91. मेला-माइन

92. पोलि-कार्बोनेट (थर्मो-प्लास्टिक रॉ मैटिरियल)

93. डाई इंटरमीडिएट

94. थर्मामीटर्स के लिए ग्लास केपलरी ट्यूबिंग

95. ट्रेसिंग पेपर

96. जी० एल०एस० लैम्प्स के लिए ग्लास शैल्स

97. पैरा-क्लोरो टाल्युइन

टिप्पणी : उपर्युक्त उल्लिखित मदों के केवल वे विशिष्टिकरण, माप, टाइप, किस्म, संघटन आदि, इस लाइसेंस के अंतर्गत वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) द्वारा आयात किए जा सकते हैं, जो इस लाइसेंस की पैरा सं० (1) के अंतर्गत आते हैं अर्थात् वे मदें जो आयात एवं निर्यात नीति 1982-83 (खं०-1) के परिशिष्ट 3 से 9 में और 15 में प्रदर्शित नहीं हैं और जो इस लाइसेंस की अन्य शर्तों के अनुरूप हैं।

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

ORDER NO. 1/82

OPEN GENERAL LICENCE NO. 1/82

New Delhi, the 5th April, 1982

S.O. 239(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby gives general permission to import into India from any country, except the Union of South Africa/South West Africa, raw materials, components and consumables by Actual Users (Industrial), subject to the following conditions :—

(1) The items to be imported are not covered by Appendices 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 15 of the Import and Export Policy, 1982-83 (Vol. I);

(2) Instruments shall not be allowed to be imported under this Licence;

(3) The raw materials, components and consumables are required by the Actual User (Industrial) concerned for his own use, i.e. subject to the "Actual User" condition;

(4) The Actual User shall maintain proper account of consumption and utilisation of the goods imported under this Licence in the form and manner laid down, and produce such account to the licensing authority, or any other Government authority within such time as may be specified by it;

(5) Actual User (Industrial), at the time of clearance of the goods, shall furnish to the customs, authorities a declaration giving particulars of their industrial licence/registration as Actual User with the concerned authority, namely, the Number and Date of the Industrial Licence/Registration and the end-product(s) of manufacture, and affirming that (i) such licence/registration has not been cancelled or withdrawn or otherwise made in-operative and (ii) the items imported under this Licence are strictly in accordance with the terms and conditions of their industrial Licence/Registration with the sponsoring authority concerned as an industrial unit and; their approved phased manufacturing programme. In case, no phased manufacturing programme has been approved for them, they should say so in the declaration. In cases, where separate registration number has not been allotted by the sponsoring authority concerned, the importer shall produce other evidence to the satisfaction of the customs authorities that he is licensed registered as industrial unit and eligible to the import made. Actual User (Industrial) shall also furnish at the time of clearance of goods a certified copy of phased manufacturing programme, if any, approved for them by the sponsoring authority or other concerned authority;

(6) Actual User (Industrial) having provisional registration with the sponsoring authority will also be eligible to import raw materials, components and consumables under this Licence;

(7) Actual Users (Industrial) having registration certificate issued by the sponsoring authority specifically marked "proposed" will also be eligible to import raw materials, components and consumables under this Licence, but in their case, the import will be allowed only to the State Industrial Development Corporation or State Financial Corporation on behalf of the Actual User, on production of evidence, at the time of clearance, that the Actual User concerned has furnished a bond with a bank

guarantee for a value equal to 25 per cent of the c.i.f. value of the goods imported, to the effect that the Actual User shall furnish to the licensing authority concerned a certificate of the sponsoring authority in support of the unit having gone into production;

(8) All Industrial Units in large scale sector shall submit to the DGTD), New Delhi or other sponsoring authorities concerned, and the Department of Electronics, New Delhi, as appropriate to the item, periodical returns, indicating the description and the value of the items imported under this Licence. Industrial Units in the small scale sector should send similar returns to the regional licensing authorities concerned. These returns shall be furnished as on 30th September, 1982 and 31st March, 1983. Each such return shall be furnished within 15 days of the close of the period indicated;

(9) This Licence shall also be subject to the condition No. 1 in Schedule V to the Imports (Control) Order, 1955;

(10) In respect of man-made fibres, tow and yarns, every eligible importer shall be required to register his contracts with the Textile Commissioner, Bombay. Imports shall be made only after the connected contracts have been stamped by the Textile Commissioner, Bombay as evidence of such registration. (For this purpose, two copies of the contract should be lodged with the Textile Commissioner and he will return one copy to the party duly stamped on each page);

(11) Import of man-made fibres. tow and yarns under this Licence can be made by the State Chemicals and Pharmaceuticals Corporation of India (CPC), New Delhi for distribution to eligible Actual Users subject to the condition regarding prior registration of contracts with the Textile Commissioner, Bombay as in (10) above;

(12) In the case of DMA/TPA, import will be allowed only on the basis of the import contracts registered with the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Petroleum). Imports shall be made only after the connected contracts have been stamped by the Department of Petroleum, New Delhi as evidence of such registration (For this purpose, two copies of the contract should be lodged with the Department of Petroleum and they will return one copy to the party duly stamped on each page);

(13) (i) In the case of woollen rags/shoddy wool/synthetic rags, clearance of imported goods will be allowed by the Customs authorities only after the goods have been completely mutilated.

(ii) Woollen rags for this purpose are defined as under :—

(a) 'New'—waste woollen cloth whether woven or knitted which is left after a garment had been cut out including genuine tailor cutting piece ends, discarded pattern-banches and sample bits.

(b) 'Old'—Rags of woollen textile fabrics (including knitted and crocheted fabrics) which are required for manufacture of shoddy yarn and may consist of articles of furnishing or clothing or other clothing so worn out, spoiled of torn as to be beyond cleaning or repair.

(iii) This definition shall apply mutis-mustandis to synthetic rags.

(14) In the case of raw cashew nut, Cashew Corporation of India will also be eligible to import under this licence for distribution to Actual Users (Processing Units), in accordance with the policy in force in this regard.

(15) In the case of raw cashew nuts, it shall be a condition that immediately after the contract for import is entered into, half of the quantity to be imported shall be offered to the Cashew Corporation of India for distribution to Actual Users (Processing Units) in such manner as may be laid down by Government from time to time. The import contract shall also be registered by the importer with the Cashew Corporation of India within a period of 7 days of its execution.

(16) In the case of carbon steel items, permitted for import in this Licence including rerollable scrap, the eligible importers shall be required to register their import contracts with the Iron & Steel Controller, Calcutta or with any of his regional offices, within 15 days from the date of entering into such contracts. Import shall be made only after the connected contracts have been stamped by the registering office of the Iron and Steel Controller as evidence of such registration. For this purpose, two copies of the contract shall be lodged with the registering office of the Iron & Steel Controller and it will return one copy to the party, duly stamped on each page.

(17) In the case of insecticides including pesticides and weedicides, the Actual Users (Industrial) concerned shall, within seven days of the clearance of each consignment, intimate to the Department of Agriculture (Plant Protection Division), New Delhi, particulars of the items imported, the quantity and the c.i.f. value thereof;

(18) In respect of items other than those appearing in the Schedule to this Licence, import can be made under this Licence by Actual Users (Industrial) and others, for stock and sale;

(19) By import under this Licence, the production of the industrial unit concerned shall not exceed the Licensed/authorised capacity, and the unit concerned shall ensure adherence to its approved phased manufacturing programme;

(20) The goods so imported have not been produced or manufactured in the Union of South Africa/South West Africa;

(21) Such goods are shipped on through consignment to Indian on or before 31st March, 1983 or, in the case of Actual User (Industrial), on or before 30th June, 1983 against firm orders for which irrevocable letters of credit are opened on or before 28-2-1983, without any grace period what-so-ever;

(22) Nothing in this Licence shall affect the application to any goods, of any other prohibition or regulation affecting the import thereof, in force at the time when such goods are permitted;

(23) The licence does not confer any immunity, exemption or relaxation at any time from an obligation or compliance with any requirement to which the Actual Users (Industrial) may be subject to under other laws or regulations. The importers should comply with the provisions of all other laws applicable to them.

[File No. IPC/3/2/82]

SCHEDULE TO OGL NO. 1/82

Dated, the 5th April, 1982

1. Man-made fibres/yarns.
2. D.M.T./T.P.A.
3. Mercury/mercury ammoniated.
4. P.V.C. Resins.
5. Raw Wool/Mohair.
6. Woollen rags/Synthetic rags/Shoddy wool.
7. Rayon grade wood pulp.
8. Naphthalene crude.
9. Potassium cyanide.
10. Potassium chlorate.
11. Potassium ferrocyanide.

12. Styrene monomer.
13. PTFE Fabric/felt/threads.
14. Vitamin B6.
15. Acrylic moulding powder.
16. Capacitor tissue paper.
17. Condensor tissue paper.
18. Kraft|Tissue paper.
19. Ethyl glycol.
20. Eucalyptus gom chips.
21. Lithopone.
22. Polystyrene film.
23. Solvents.
24. 20 per cent oil treated sulphur, including crytex/insoluble sulphur.
25. Aluminium wire/strips of purity 99.99 per cent.
26. Aluminium profiles.
27. Aluminium Oxide.
28. Aluminium glycinate.
29. Nylon waste [Actual Users (Industrial) engaged in recovery of caprolactum as certified by DGTD, New Delhi].
30. Paper waste, [Actual User (Industrial) engaged in the manufacture of pulp/paper and paper board].
31. Corkwood, cork waste and cork dust, and cork powder of 200 mesh.
32. High speed steel.
33. High grade molybdenum ore, Molybdenum metal including scrap, Molybdic oxide, Molybdenum Oxide, Molybdenum Powder.
34. Pitch.
35. Phosphoric acid (other than industrial grade).
36. Tartaric Acid.
37. Natural essential oils
38. P U. Leather cloth.
39. Iodine.
40. Geranium oil.
41. All components of Machine tools, machinery, equipment and instruments and other engineering products (including consumer durables), covered under OGL (excluding electronic components).
42. Pressed/punched metal parts or Tape Deck mechanism.
43. Components of DC Micro motorstepper motors|servo motors|AC synchronous motors of ratings upto 12 volts and 20 watts.
44. Components of relays, connectors and switches.
45. Microwave components of all types.
46. Ivory unmanufactured.
47. Nitric acid.
48. Shellac/seed lac.
49. Polypropylene film.
50. Bleaching powder and hypo chlorites.
51. Black Centered Board.
52. Drugs/Drug intermediates covered under OGL.
53. Tungsten Disc/Tungsten contacts.
54. Caustic soda.
55. Soda Ash.
56. (i) Cast iron scrap.
(ii) Wrought iron scrap.
(iii) Re-rollable scrap of all grades of carbon steel.
(iv) Scrap of coated steel sheets/strips/coils, marketed as "tin-free" steel.
57. Filter Paper for Tea Bags heat seal/non-heat seal type [Actual Users (Industrial) engaged in manufacture of tea bags].
58. Used/scrap rubber tyres/tubes (Each tyre/tube subjected to at least one cut before shipment from the exporting country or before clearance from the customs). — For Actual Users (Industrial) engaged in reclaiming rubber.
59. Rubber blankets.
60. Glass screens and contact screens (grey and magenta)/colour fillers.
61. Lithographic coated plates.
62. Copper/aluminium/micro metal sheets used in the manufacture of blocks.
63. Quality control films strips and targets.
64. (i) Litho rules for perforating slitting, creasing etc.
(ii) Anti off-set spray powder.
— Actual Users (Industrial) engaged in printing.
65. Raw cashewnuts.
66. Insecticides, pesticides and weedicides.
67. Lead scrap including Ash, Skimming, Blowings and Drosses.
68. Ferro-nickel.
69. Carbon Steel plates to IS-2062 or equivalent specification.
70. Sheets/coils to boiler/pressure vessel quality.
71. Chequred plates/coils.
72. Cold Rolled strips 12 mm wide and below.
73. Carbon steel rolled blooms above 400 mm.
74. All categories of alloy and special steels.
75. Dimethyl Polysiloxanes fluid (Silicone oil).
76. Glycol ethers.
77. Phosphorous acid.
78. Tungsten salts.
79. Pyrazinamide.
80. Sodium methozide.
81. Chloride cyanuric.
82. Ethylene dibromide.
83. Acetone.
84. Trisnonyl phenyl phosphite.
85. Shodium Lauryl ethyl sulphate.
86. Parachloro benzoic acid.
87. Nylon mono filament bristles.
88. 4 : 4 Benzidine, 2 : 2 disulphonic acid.
89. Polycarobnate moulding powder/granules.
90. Para tertiary butyl phenol.
91. Melamine.
92. Polycarbonate(Thermoplastic raw materials).
93. Dye intermediates.
94. Glass Capillary Tubing for Thermometers.
95. Tracing paper.
96. Glass shells for GLS lamps.
97. Para chloro toluene.

Note.—Only those specifications, sizes, types, varieties, compositions etc. of the above mentioned items can be imported by Actual Users (Industrial) under this Licence, as are covered by condition No. (1) of this Licence i.e. items which do not appear in Appendices 3 to 9 and 15 of the Import & Export Policy, 1982-83 (Volume I), and which conform to other conditions of this Licence.

आदेश सं० 2/82

खुला सामान्य लाइसेंस सं० 2/82

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1982

आयात व्यापार नियंत्रण

का० आ० 240(अ):—आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1982-83 (वा० I) की आयात और निर्यात नीति के परिशिष्ट 2 में विशिष्टिकृत विवरण के पूंजीगत माल का दक्षिणी अफ्रीका संघ/दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका को छोड़कर किसी भी देश से निम्नलिखित शर्तों के अधीन आयात करने की सामान्य अनुमति देती है :—

(1) आयातक वास्तविक उपयोक्ता शर्त के साथ अपने निजी कारखाने, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, संस्थान, व्यावसायिक कार्यालय या अन्य संबद्ध परिसर में उपयोग के लिए ऐसी मदों की आवश्यकता वाले महानिदेशक तकनीकी विकास, नई दिल्ली या राज्य के संबद्ध उद्योग निदेशक या अन्य संबद्ध प्रयोजक या सरकारी प्राधिकारी के साथ पंजीकृत एक वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक या गैर औद्योगिक) हो ।

(2) विषयाधीन पूंजीगत माल के आयात द्वारा आवेदक का उत्पादन लाइसेंस प्राधिकृत क्षमता से अधिक नहीं होगा ।

(3) इस प्रकार आयात किया गया माल नए निर्माण का होगा । यदि ये पुरानी या मरम्मत की गई मदें होंगी तो उनके आयात की अनुमति केवल तब दी जाएगी जबकि मशीनरी केवल 10 वर्ष से अधिक पुरानी न हो और इसका शेष जीवन 5 वर्ष से कम न हो और जिस देश से आयात किया जाए उस देश के सनदी इंजीनियर का एक प्रमाणपत्र साक्ष्य के रूप में निकासी के समय सीमाशुल्क प्राधिकारी को उसके संतुष्टीकरण के लिए इस संबंध में प्रस्तुत किया जाए ।

(4) आयातित माल की निकासी के समय वास्तविक उपयोक्ता (गैर-औद्योगिक) उसके द्वारा धारित उस पंजीकरण प्रमाणपत्र को मूल रूप से या फोटो-स्टेट प्रति (वर्तमान समय में वैध) के रूप में सीमाशुल्क प्राधिकारियों को भेजेगा जो उसको आयात करने के लिए पात्रता प्रदान करते हुए शाप्स एड इस्टेबलिशमेंट ऐक्ट, सिनेमेटोग्राफिक ऐक्ट या संबंध स्थानीय कानून के अन्तर्गत जारी किया गया हो ।

(5) माल की निकासी के समय वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) सम्बद्ध सीमा शुल्क प्राधिकारियों के साथ औद्योगिक एकक के रूप में ,अपने औद्योगिक लाइसेंस/पंजीकरण का ब्यौरा देते हुए अर्थात् औद्योगिक लाइसेंस पंजीकरण की संख्या और दिनांक और विनिर्माण की अंतिम उपाद (दें) और यह पुष्टि करते हुए कि (1) ऐसे लाइसेंस पंजीकरण न तो रद्द कि गए हैं या वापस लिये गए हैं या अन्यथा रूप से प्रचालन में हैं और (2) आयातित माल औद्योगिक एकक के रूप में उनके औद्योगिक लाइसेंस प्रायोजक प्राधिकारी के पास पंजीकरण की शर्तों के बिलकुल अनुसार है, एक घोषणा पत्र सम्बद्ध सीमा शुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत करेगा । उन मामलों में जहां संबद्ध प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा अलग से लाइसेंस पंजीकरण सं० नहीं दी गई है आयातक को सीमा-शुल्क प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए इस संबंध में अन्य कोई प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे कि वह लाइसेंसधारी है/औद्योगिक एकक के रूप में पंजीकृत है और किए गए आयात के लिए भी पात्र है ।

(6) आयात किए गए पूंजीगत माल का विवरण देते हुए 30 सितम्बर, 1982 और 31 मार्च, 1983 के अनुसार उनके लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य का विवरण देते हुए आयातक मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली के कार्यालय में सांख्यिकी निदेशक को आवधिक विवरण भेजेगा । ऐसा प्रत्येक विवरण निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से 15 दिनों के भीतर भेजा जाएगा ।

(7) इस तरह आयात किया जाने वाला माल दक्षिण अफ्रीका संघ/दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में तैयार अथवा विनिर्मित न किया गया हो ।

(8) ये माल 31 मार्च 1983 को अथवा उससे पहले बिना कोई अवधि बढाये चाहे जो भी हो, भारत को परेषण के जरिये भेजे गए हो या 28-2-1983 को या इससे पूर्व विदेशी मुद्रा विनिमय के व्यापारी (बैंक) के साथ पंजीकृत और की गयी पक्की संविदा के मद्दे 31-3-1984 को या इससे पूर्व लदान कर दिए गए हों ।

(9) यह लाइसेंस आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की अनुसूची-5 में शर्त-1 के अधीन होगा ।

(10) इस प्रकार के माल आयात करते समय लागू कोई भी निषेध अथवा उसके आयात को प्रभावित करने वाला विनियम इस लाइसेंस के अंतर्गत किसी भी प्रकार के माल के आयातों को प्रभावित नहीं करेगा ।

(11) यह लाइसेंस किसी भी समय वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) जब अन्य कानून या विनियमो की शर्तों के अधीन आता हो उसे दायित्व या किसी

आवश्यकता को अनुपालन करने से कोई उन्मुक्ति, छूट या ढील प्रदान नहीं करता है। आयातक को इसके लिए लागू अन्य कानूनों का अनुपालन करना चहिए

[मि० सं० आईपीसी/3/2/82[

ORDER No. 2/82

OPEN GENERAL LICENCE NO. 2/82

New Delhi, the 5th April, 1982

IMPORT TRADE CONTROL

S.O. 240(E).—In exericse o the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby gives general premission to import into India from any country, except the Union of South Africa/South West Africa, Capital Goods of the description specified in Appendix 2 of Import and Export Policy, 1982-83 (Vol. I), subject to the following conditions :—

(i) The importer is an Actual User (Industrial) or (Non-Industrial) registered with the DGTD, New Delhi or the concerned State Director of Industries or other sponsoring or Government Authority concerned, as the case may be requiring such items for use in his factory, commercial establishment, institution, professional office or other premises concerned, subect to "Actual User" condition;

(ii) By import of the Capital Goods, In question, the production of the applicant shall not exceed the licensed/authorised capacity.

(iii) The goods so imported shall be of new manufacture; if they are second-hand or reconditioned items, their import will be permitted only if the machinery is not more than ten years old and its remaining life is not less than five years, and evidence to this effect in the form of a certificate of a Chartered Engineer in the Country from which the import is made, is produced to the satisfaction of the customs authority at the time of clearance;

(iv) Actual Users (Non-Industrial) shall at the time of clearance of the imported goods furnished to the customs authorities the original or a photostat copy of the (currently valid), Registration Certificate held by them under the Shops and Establishment Act, Cinematographic Act or concerned local statute, entitling them to effect the import;

(v) Actual User (Industrial) shall produce to the customs authorities concerned at the time of clearance, a declaration giving particulars of his Industrial Licence/Registration, as an industrial unit with the concerned authorities, namely, the Number and Date of the Industrial Licence/Registration and the end-product(s) of manufacture, and affirming that (i) such licence/registration has not been cancelled or withdrawn or otherwise made in-operative and (ii) and the items imported on strictly in accordance with the terms and conditions of their Industrial Licence|Registration with the sponsoring authority as an industrial unit. In cases, where separate registration number has not been allotted by the sponsoring authority concerned, the importer shall produce other evidence to the satisfaction of the customs authorities that he is licensed/registered as industrial unit and is eligible to the import made.

(vi) The importer shall furnish periodical returns to the Director of Statistics, Office of the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, giving the description of Capital Goods imported and their c.i.f. value as on 30th September, 1982 and 31st March, 1983. Each such return shall be furnished within 15 days of the close of the period indicated.

(vii) The goods so imported have not been produced or manufactured in the Union of South Africa|South West Africa;

(viii) Such goods are shipped on through consignment to India on or before 31st March, 1983, or shipped on or before the 31st March, 1984, against a firm contract entered int and registered with a foreign exchange dealer (Bank) on or before 28th February, 1983, without any grace period whatsoever;

(ix) This licence shall also be subject to the condition No. 1 in Schedule V to the Imports (Control) Order, 1955.

(x) Nothing in this Licence shall affect the application to any goods, if any other prohibition or regulation affecting the import thereof, in force, at the time when such goods are imported.

(xi) The licence does not confer any immunity, exemption or relaxation at any time from an obligation or compliance with any requirement to which the Actual User (Industrial) may be subject under laws or regulations. The importers should comply with the provisions of all other laws applicable to them.

[Filt No. IPC/3/2/82]

आदेश सं० 3/82

खुला सामान्य लाइसेंस संख्या 3/28

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1982

का० आ० 241(अ):—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947 (1947 का 18) के खंड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन दक्षिण अफ्रीका दक्षिण पश्चिम अफ्रीका संघ को छोड़कर विश्व के किसी भी देश से 1982-83 की आयात-निर्यात नीति (वा०) के परिशिष्ट 3, 4, 15, या 30 से भिन्न अर्थात् वे सभी पुर्जों जो फालतू पुर्जों के रूप में अपेक्षित हैं। अनुज्ञेय फालतू पुर्जों का भारत में आयात करने की सामान्य अनुमति देती है तथा जो पूंजीगत माल के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित हैं जिनमें अनुषंगी, सहायक उपस्कर, नियंत्रण तथा लेबोरेटरी उपस्कर तथा सुरक्षा संयंत्र भी शामिल हैं जिन्हें वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक या गैर औद्योगिक) द्वारा 1 अप्रैल, 1982 को स्थापित किया गया था उसका आयात उनके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था :—

(1) वास्तविक प्रयोक्ता (औद्योगिक) निकासी के समय सीमा शुल्क प्राधिकारियों को यथा उपयुक्त अपने औद्योगिक लाइसेंसों/पंजीकरण प्रमाणपत्रों अर्थात् औद्योगिक लाइसेंस/औद्योगिक इकाई के रूप में सम्बद्ध प्राधिकारी के पास पंजीकरण की सं० तथा दिनांक और विनिर्मित अन्तिम उत्पाद का विवरण देते हुए एक ऐसा घोषणापत्र देंगे जिससे इस बात की पुष्टि होगी कि ऐसा लाइसेंस/पंजीकरण रद्द नहीं किया गया है अथवा वापिस

नहीं लिया गया है अथवा उसका अन्यथा रूप से उपयोग नहीं किया गया है । जिन मामलों में सम्बन्धित प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा पूर्वत पंजीकरण स्थित नहीं किया गया है, आयातक सीमा शुल्क प्राधिकारियों को इस संतुष्टि के लिए अन्य कोई प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि वह लाइसेंस-धारी औद्योगिक एकक के रूप में पंजीकृत है और किए गए आयात के लिए पात्र है ।

(2) माल की निकासी के समय वास्तविक उपयोक्ता (गैर-औद्योगिक) दुकान और स्थापना अधिनियम, सिनेमेटोग्राफ अधिनियम अथवा उपयुक्त स्थानीय अधिनियम के अन्तर्गत उनके द्वारा प्राप्त पंजीकरण प्रमाण-पत्र की मूल अथवा फोटोस्टेट (वर्तमान समय में वैध) प्रति सीमा शुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत करेंगे जो आयात को प्रभावी बनाने के लिये उन्हें हकदार बनाएगी ।

(3 संगणक प्रणाली के मामले में अनुमेय फालतू पुर्जों के आयात की अनुमति आयातित संगणक के लागत बीमा-भाड़ा-मूल्य के 3 प्रतिशत दर या देशी विनिर्मित संगणक प्रणाली खरीद मूल्य के 1/2 प्रतिशत पर दी जाएगी । आयातित माल की निकासी के समय जैसा भी मामला हो, आयातक को सीमा शुल्क प्राधिकारी को सनदी लेखापाल/लागत लेखापाल या कम्पनी सचिव (व्यवसायी) या सम्बन्धित प्रयोजित प्राधिकारी को लागत बीमा-भाड़ा-मूल्य या संगणक प्रणाली की खरीद मूल्य को प्रदर्शित करते हुए एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए । उन्हें इस सम्बन्ध में एक घोषणा-पत्र भी देना चाहिए कि जिस परेषण की निकासी की जानी है उसके लागत बीमा-भाड़ा-मूल्य सहित उसी अवधि में इस प्रकार से पहले ही आयात किए गए माल का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य अनुज्ञेय सीमा से ज्यादा नहीं हो सनदी/लागत लेखापाल या कम्पनी सचिव को आवेदक फर्म या उसकी सहायक शाखाओं का भागीदार या संचालक या कर्मचारी नहीं होना चाहिए ।

(4) वे लघु क्षेत्र के एकक जिनके पास सम्बद्ध प्रायोजित प्राधिकारियों के अनन्तिम पंजीकरण हैं, वास्तविक उपयोक्ताओं की ऊपर विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन इस लाईसेंस के अन्तर्गत माल आयात करने के पात्र होंगे ।

(5) वास्तविक उपयोक्ता इस लाइसेंस के अन्तर्गत आयातित माल के उपयोग का निर्धारित रूप और विधि से उचित लेखा रखेगा और ऐसे लेखों को लाइसेंस प्राधिकारी या अन्य सरकारी प्राधिकारी को उनके द्वारा विशिष्टिकृत समय के भीतर प्रस्तुत करेगा ।

(6) यह लाइसेंस आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की अनुसूची-5 में शर्त-1 के भी अधीन होगी ।

(7) वास्तविक उपयोक्ता 30-9-1982 और 31-3-83 को नीचे लिखे गए प्राधिकारियों को एक आवधिक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें (क) आयातित मदों के मूल लागत बीमा-भाड़ा-मूल्य और (ख) ऐसी आयातित मदों के ब्यौरे जिन का कुल लागत बीमा-भाड़ा मूल्य 2 लाख रुपए से अधिक हो को दर्शाया जाएगा :—

(1) बहुत पैमाने क्षेत्र के औद्योगिक एककों के मामले में सम्बद्ध प्रयोजक प्राधिकारी; और

(2) अन्य वास्तविक उपयोक्ताओं के मामले में सम्बद्ध क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी प्रत्येक ऐसा विवरण उपर्युक्त संकेतित अवधि के समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर भेजा जाएगा ।

(8) इस तरह आयात किया जाने वाला माल दक्षिण अफ्रीका/संघ/दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में तैयार अथवा विनिर्मित न किया गया हो ।

(9) ये माल 31 मार्च, 1983 को अथवा उससे पहले बिना कोई अवधि बढ़ाये जो भी हो भारत को परेषण के जरिए भेजे जाते हैं या 28-2-1983 को या इससे पूर्व विदेशी मुद्रा के व्यापारी (बैंक) के साथ पंजीकृत और की गई पक्की संविदा के मद्दे 31-3-84 को या इससे पूर्व लदान कर दिए जाते हैं ।

(10) इस प्रकार का माल आयात करते समय लागू कोई भी निषेध अथवा उसके आयात को प्रभावित करने वाला विनिमम इस लाइसेंस के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के माल के आयातों को प्रभावित नहीं करेगा

(11) यह लाइसेंस किसी भी वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) जब अन्य फालतू या विनियमों की शर्तों के अधीन आता हो उसे दायित्व या किसी आवश्यकता को अनुपालन करने से कोई उन्मुक्ति, छूट या ढील प्रदान नहीं करता है । आयातक को इनके लिए लागू अन्य कानूनों का अनुपालन करना चाहिए ।

[(मि० संख्या आ० ईपीसी 3/2/82)]

ORDER NO. 3/82

OPEN GENERAL LICENCE NO. 3/82

New Delhi, the 5th April, 1982

S.O. 241(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947) the Central Government hereby gives the general permission to import into India from any country, except the Union of South Africa/South West Africa, "permissible" spares i.e. all those parts required as spares, other than items appearing in Appendices 3, 4, 15 or 30, in the Import and Export Policy, 1982-83 (Vol. I), as are required for their own use for maintenance of Capital Goods, including accessories, ancillary equipment, control and laboratory equipment and safety appliances, installed or in use as on 1st April, 1982, by Actual Users (Industrial or Non-Industrial), subject to the following conditions :—

(i) Actual Users (Industrial) will furnish to the customs authorities, at the time of clearance a declaration giving particulars of their industrial licence/registration certificates, as appropriate, namely, Number and Date of Industrial Licence/Registration with concerned authority as industrial unit and end-product(s) manufactured, and solemnly affirming that such licence/registration has not been cancelled or withdrawn or otherwise made in-operative. In cases where a separate registration number has not been allotted by the sponsoring authority concerned, the importer shall produce other evidence to the satisfaction of the customs authorities that he is licensed/registered as an industrial unit is eligible to the import made.

(ii) Actual Users (Non-Industrial) shall, at the time of clearance of the goods furnish to the customs authorities, the original or a photostat copy of the (currently valid) registration certificates held by them under the shops and Establishment Act, Cinematographic Act or appropriate local statute, entiling them to effect the Imports;

(iii) In the case of computer systems, import of permissible spare parts will be allowed at 3 per cent of the c.i.f. value of imported computers or 1/2 per cent of the purchase price of the indigenously manufactured computer systems. At the time of clearance of the imported goods, the importers should furnish to the customs authorities, a certificate from Chartered/Cost Accountant or Company Secretary (in practice), or the sponsoring authority concerned showing the c.i.f. value or the purchase price of the computer system, as the case may be. They should also furnish a declaration to the effect that the c.i.f. value of such goods already imported during the same financial year does not exceed the permissible limit, including the c.i.f. value of the consignment to be cleared. The Chartered/Cost Accountant or Company Secretary should not be a partner or a Director or an employee of the applicant firm or its associates.

(iv) Small Scale units having provisional registration the sponsoring authorities concerned will be eligible to import goods under this licence, subject to Actual User condition.

(v) The Actual User shall maintain proper account of utilisation of the goods imported under this licence in the form and manner laid down, and produce such account to the licensing authority or any other Government authority within such time as may be specified by it.

(vi) This licence shall also be subject to the condition No. 1 in Schedule V to the Imports (Control) Order, 1955.

(vii) The Actual Users shall furnish periodical returns, as on 30th September, 1982 and 31st March, 1983 to the authorities mentioned below, indicating (a) the total c.i.f. value of the items imported and (b) description of such of the items imported of which the total c.i.f. value exceeds Rs. 2 lakhs :—

(i) sponsoring authorities concerned in the case of industrial units in the large scale sector; and

(ii) regional import licensing authorities concerned, in the case of other Actual Users. Each such Return shall be sent within 15 days of the close of the period indicated.

(viii) The goods so imported have not been produced or manufactured in the Union of South Africa/South West Africa.

(ix) Such goods are shipped on through consignment to India on or before 31st March, 1983, or shipped on or before 31st March, 1984 against a firm contract entered into and registered with a foreign exchange dealer (Bank) on or before 28-2-1983, without any grace period whatsoever.

(x) Nothing in this licence shall affect the application to any goods, of any prohibition or regulation affecting the import thereof, in force, at the time when such goods are imported.

(xi) The licence does not confer any immunity, exemption or relaxation at any time from an obligation or compliance with any requirement to which the Actual Users (Industrial) may be subject under other laws or regulations. The importers should comply with the provision of all other laws applicable to them.

[File No. IPC/3/2/82]

आदेश सं० 4/82

खुला सामान्य लाइसेंस सं० 4/82

नई दिल्ली : 5 अप्रैल 1982

का० आ० 242 (अ):—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार दक्षिण अफ्रीका संघ/दक्षिण पश्चिम अफ्रीका को छोड़कर विश्व के किसी भी देश से नीचे विनिर्दिष्टकृत माल का आयात करने के लिए सामान्य अनुमति प्रदान करती है :—

(1) 2,000 रु० मूल्य तक के व्यापार संबंधी सूची-पत्रों और परिपत्रों के मुफ्त उपहार –

(2) मशीनरी और संयंत्र स्थानों, कार्य और निर्माण, अनुसंधान आंकड़ों से संबंधित वे खाके और ड्राइंग (माइक्रो-फिल्म सहित) जो मुफ्त में संभरित किए जाते हैं और जिनका कोई भी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है :

(3) एक प्रेषण में अधिकतम 20,000 रु० के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य तक के मुफ्त में संभरित किए जाने वाले मूल तकनीकी और व्यापार संबंधी नमूने जिनमें वनस्पति बीज, मधु-मक्खियां, चाय और नए भेषज शामिल नहीं हैं ;

(4) मुफ्त में संभरित की जाने वाली मूल विज्ञापन संबंधी वह सामग्री जो एक ही प्रेषण में 2,000 के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य से अधिक न हो;

(5) विदेशी संभरकों द्वारा मुफ्त में संभरित माल या ऐसा माल जो पहले आयात किया गया हो परन्तु जो उपयोग के लिए त्रुटिपूर्ण, या अनुपयुक्त पाया गया हो या आयात के बाद खो गया हो/टूट-फूट गया हो, उसके बदले में किसी बीमा कंपनी द्वारा तय किए गए बीमा (समुद्रीय) या समुद्री व निर्माता दावे के मद्दे आयातित माल, बशर्ते कि :—

(क) प्रतिस्थापन वाले माल का पोतलदान पहले आयात किए गए माल का सीमाशुल्क के माध्यम से निकासी की तिथि से 24 महीनों के भीतर किया गया हो या मशीनों अथवा उनके पुर्जों के मामले में यदि ऐसी अवधि 24 महीनों से अधिक हो तो पोत-लदान गारंटी अवधि के भीतर किया गया हो ;

(ख) जिस मामले में विदेशी संभरक द्वारा माल का प्रतिस्थापन इस शर्त के अधीन हो कि आयातक प्रतिस्थापन के लिए बीमे और/या भाड़े का भुगतान करेगा और धन परेषित करते समय इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया हो तो ऐसे मामले के अतिरिक्त किस प्रकार के धन परेषण का अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ग) प्रतिस्थापन माल की निकासी के समय निम्नलिखित दस्तावेज सीमाशुल्क प्राधिकारियों की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे:—

(1) मुफ्त में प्रतिस्थापन के मामले में विदेशी संभरक के साक्ष्य के रूप में यह प्रदर्शित करते हुए मूल पत्र कि माल मुफ्त संभरित किया जा रहा है;

(2) लायड्स एजेन्ट से या किसी अन्य प्राधिकृत बीमा सर्वेक्षक से सर्वेक्षण प्रमाणपत्र या मशीन या उसके पुर्जों के मामले में व्यवसायी स्वावलंबी सनदी इंजीनियर (या सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के मामले में मुख्य कार्य प्रभारी) से इस संबंध में प्रमाणपत्र कि पहले आयात किया गया माल वास्तव में त्रुटिपूर्ण दशा में प्राप्त किया गया था और उसके प्रतिस्थापन की आवश्यकता थी;

(3) जिस मामले के उपर्युक्त उप-खण्ड (क) में निर्धारित 24 महीनों की अवधि के बाद पोत-लदान किया गया हो उस मामले में मशीनों या उनके पुर्जों के लिए विदेशी संभरक या माल परेषक द्वारा गारन्टी की अवधि प्रदर्शित करते हुए साक्ष्य;

(4) नए सिरे से धन परेषण वाले प्रतिस्थापन आयात के मामले में बीमा कम्पनी द्वारा मांगे गए भुगतान का साक्ष्य। प्रतिस्थापन आयात की अनुमति बीमा कंपनी द्वारा निर्णीत मांग के मूल्य तक दी जाएगी, परन्तु इस धनराशि में 10 प्रतिशत तक की वृद्धि की अनुमति प्रतिस्थापन के रूप में आयात की जाने वाली मशीनरी के मूल्य में वृद्धि के कारण दी जा सकती है।

(6) भारत के औषधि नियंत्रक, नई दिल्ली के पूर्व और लिखित अनुमोदन के साथ और उनके द्वारा निर्धारित किसी शर्त के अधीन रोग विषयक परीक्षणों के लिए मुफ्त में संभरित भेषज और औषधियां/औषधि नियंत्रक का अनुमोदन माल की निकासी के समय सीमा-शुल्क प्राधिकारियों की सन्तुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) विदेशी संभरकों द्वारा भारत में थोक एजेन्टों को मुफ्त में संभरित भेषजों और औषधियों के मूल व्यापर नमूने जो एक परेषण में लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य में 10 हजार रुपए से अधिक न हो और भारत के औषधि नियंत्रक, नई दिल्ली की लिखित सिफारिश के साथ जो कि माल की निकासी के समय सीमाशुल्क प्राधिकारियों की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत की जाएगी ;

(8) भारत के औषधि नियंत्रक, नई दिल्ली की लिखित सिफारिश जो माल की निकासी के समय सीमाशुल्क प्राधिकारियों की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत की जाएगी, के आधार पर मुफ्त में या भुगतान पर संभरित मानव टीके और सेरा;

(9) राज्य पशुपालन निदेशक, अथवा पशुपालन आयुक्त, भारत सरकार, नई दिल्ली की लिखित सिफारिश पर निशुल्क अथवा भुगतान के मद्दे भेजे गए पशु टीके जिस में मुर्गी पालन टीके भी शामिल हैं, जिनके लिए लिखित अनुमति निकासी के समय सीमाशुल्क प्राधिकारियों की संतुष्टि के लिए प्रस्तुतत की जानी है;

(10) कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत गठित पंजीकरण समिति द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र के आधार पर मुफ्त संभरित किए गए कीटनाशी (महा-मारीनाशी और घास-पात नाशी सहित) के तकनीकी और व्यापार नमूने और कीटनाशी अधिनियम, 1968 की अनुसूची में शामिल की गई मदों के सम्बन्धमें

समिति द्वारा विशिष्कृत मात्रा और कथित अधिनियम की अनुसूची में शामिल न की गई मदों के सम्बन्ध में भारत सरकार के पौधा संरक्षण सलाहकार के लिखित अनुमोदन पर माल की निकासी के समय सीमाशुल्क प्राधिकारियों की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत किए जाने हैं;

(11) उपर्युक्त क्रम सं० (8) से (10) में दर्शाई गई मदों के सम्बन्ध में, जहां पर मदें मुफ्त में भेजी गई हो, अनुमेय माल के आयात की अनुमति उपभोक्ता या खुदरा पैकिंग में नहीं होगी और प्रेषित माल पर साफ-साफ अक्षरों में "नमूने बिक्री के लिए नहीं" अंकित होगा;

(12) इस लाइसेंस के अन्तर्गत आयातित व्यापार सूची पत्र एवं परिपत्र, खाके एवं ड्राइंग और तकनीकी अथवा व्यापार नमूने आयातक के निजी उपयोग के लिए हैं और उनको बेचा नहीं जाएगा।

(13) किसी माल के लिए उसके आयात को प्रभावी करने वाला कोई अन्य निषेध या विनियम होगा तो ऐसे माल के आयात के समय उसका इस लाइसेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा :

(14) यह लाइसेंस खुले सामान्य लाइसेंस सं० 4/80 का अतिक्रमण करता है जो कि आयात व्यापार नियंत्रण आदेश सं० 4/81 दिनांक 3 अप्रैल, 1981 के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया था।

[मि०सं०आईपीसी 3/2/82]

ORDER NO. 4|82

OPEN GENERAL LICENCE NO. 4|82

New Delhi, the 5th April, 1982

S.O. 242(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947) the Central Government gives general permission for importation of the goods specified below from any country in the world, except the Union of South Africa|South West Africa :

(1) Free gift of trade catalogues and circulars upto a value of Rs. 2,000;

(2) Blue prints and drawings (including micro films) relating to machinery and plant sites, work and building, research data, supplied free of charge and having no commercial value;

(3) Bonafide technical and trade samples supplied free of charge not exceeding Rs. 20,000 in c.i.f. value, in one consignment, excepting vegetable seeds, bees, tea and new drugs;

(4) Bona-fide advertising material supplied free of charge not exceeding Rs. 2,000 in c.i.f. value, in one consignment;

(5) Goods supplied free of charge by foreign suppliers or imported against an insurance (marine) or marine-cum-erection insurance claim settled by an Insurance Company, in replacement of the goods previously imported but found defective or otherwise unfit for use or lost|damaged after import, provided that :

(a) the shipment of replacement goods is made within 24 months from the date of clearance of the previously imported goods through the customs or within the guarantee period in the case of machines or parts thereof, where such period is more than 24 months;

(b) No remittance shall be allowed, except for payment of insurance and freight charges where the replacement of goods by the foreign suppliers is subject to the payment of insurance and|or freight by the importer and documentary evidence to this effect is produced at the time of making the remittance;

(c) the following documents shall be produced to the satisfaction of the customs authorities, at the time of clearance of the replacement goods :

(i) original letter from the foreign supplier as evidence of goods being supplied free of cost, in the case of replacement;

(ii) a survey certificate issued by the Lloyds Agents or any other authorised insurance surveyors or in the case of machine or parts thereof, a certificate from a professional independent chartered engineer, (or chief Executive in the case of Government Departments and Public Sector Undertakings) to the effect that goods previously imported were actually received in defective condition and required replacement;

(iii) evidence showing the period of guarantee given by the foreign manufacturers of consignors in the case of machines or parts thereof, where shipment takes place after the period of 24 months stipulated in sub-clause (a) above;

(iv) evidence of settlement of claim by the insurance company, in the case of replacement import involving fresh remittances. Replacement imports will be allowed upto the value of the claim settled by the insurance company but an increase upto ten per cent of this amount may be allowed owing to the increase in the value of the machinery to be imported in replacement;

(6) Drugs and medicines supplied free of charge for clinical trials with the prior written approval of the Drugs controller of India, New Delhi and subject to any conditions laid down by him. The approval of the Drugs Controller shall be produced to the satisfaction of the customs authorities at the time of clearance;

(7) Bona-fide trade samples of drugs and medicines supplied free of charge to the sole agents in India of the foreign suppliers, not exceeding Rs. 10,000 in c.i.f. value in one consignment, on the written recommendation of the Drugs Controller of India, New Delhi to be produced to the satisfaction of the customs authoristics at the time of clearance ;

(8) Human vaccines and sera supplied free of charge or against payment, on the written recommendation of the Drugs Controller of India, New Delhi to be produced to the satisfaction of the customs authorities at the time of clearance;

(9) Animal including poultry vaccines, supplied free of charge or against payment, on the written recommendation of either the State Director of Animal Husbandry or the Animal Husbandary Commissioner to the Government of India, New Delhi, to be produced to the satisfaction of the customs authorities at the time of clearance;

(10) Technical and trade samples of the insecticides (including pesticides and weedicides), supplied free of charge, on the basis of the registration issued by the Registration Committee set up under the Insecticides Act, 1968, and the quantity specified by the Committee in respect of items included in the Schedule to the Insecticides Act, 1968 and on the written approval of the Plant Protection Adviser

to the Government of India in respect of items not included in the Schedule to the said Act, to be produced to the satisfaction of the customs authorities at the time of clearance;

(11) In respect of items covered by Sl. Nos. (8) to (10) above, where the items are supplied free of charge, import of the permissible materials shall not be allowed in consumer or retail packing and the consignment shall be clearly marked "sample not for sale".

(12) Trade catalogues and circulars, blue prints and drawings, and technical or trade samples imported under this licence are for the use of the importers themselves and shall not be sold;

(13) This licence is without prejudice to the application to any goods, of any other prohibition or regulation effecting the import that may be in force at the time when such goods are imported;

(14) This licence is in supersession of Open General Licence No. 4|81 published vide Import Trade control order No. 4|81 dated the 3rd April, 1981.

[File No. IPC/3|2|82]

आदेश संख्या 5/82

सामान्य खुला लाइसेंस संख्या 5/82

नई दिल्ली, 5 अप्रैल 1982

का०आ० 243(अ):—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्-द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन किसी भी अनुसंधान एवं विकास यूनिट, वैज्ञानिक और अनुसंधान प्रयोगशाला उच्च शिक्षा संस्थान एवं चिकित्सालय जो केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत है, को उनके द्वारा अपेक्षित कच्चेमाल, संघटकों, उपभोज्यों, मशीनरी, उपस्कर, यन्त्रों, उप-साधकों और फालतू पुर्जों की मदों का दक्षिणी अफ्रीका/दक्षिणी पश्चिम अफ्रीका संघ को छोड़कर किसी भी देश से भारत में आयात करने के लिए सामान्य अनुमति प्रदान करती है:—

(1) आयातक निकासी के समय सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार, जो भी हो, द्वारा अपनी मान्यता का विवरण देते हुए, और यह घोषणा करते हुए कि आयातित मदें उनके निजी उपयोग के लिए अपेक्षित हैं, एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा। अनुसंधान और विकास एककों के मामले में, वह यह भी घोषणा प्रस्तुत करेगा कि आयातित माल अनुसंधान और विकास के लिए आवश्यक है।

(2) उपभोज्य माल की मदें चाहे उनका विवरण किसी भी प्रकार से किया गया हो, इस लाइसेंस के अन्तर्गत आयात के लिए अनुमेय नहीं होगी। इस लाइसेंस के अंतर्गत कार्यालय मशीनों का आयात भी अनुमेय नहीं होगा।

(3) इस प्रकार आयातित माल का उत्पादन अथवा विनिर्माण दक्षिण अफ्रीका/दक्षिण पश्चिम अफ्रीका संघ में न किया गया हो।

(4) कम्प्यूटर प्रणाली और फालतू पुर्जों के संबंध में आयात की अनुमति इलैक्ट्रानिक विभाग, नई दिल्ली द्वारा निकासी प्रदान करने पर ही दी जाएगी।

(5) आयातक पत्तन से माल की निकासी के 30 दिनों के भीतर नीचे संकेतित प्राधिकारी को प्रत्येक एक लाख रुपए अथवा इससे अधिक मूल्य के लिए उनके द्वारा आयातित माल का विवरण प्रस्तुत करेगा:—

(1) अनुसंधान एवं विकास एककों और वैज्ञानिक तथा अनुसंधान प्रयोगशालाओं के मामले में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली को।

(2) इलैक्ट्रानिक मदों के संबंध में इलैक्ट्रानिक्स विभाग, नई दिल्ली को।

(3) तकनीकी विकास महानिदेशालय, नई दिल्ली को उन मामलों में जिन में एकक उनके पास पंजीकृत किया गया हो।

(4) चिकित्सा और उच्च शिक्षा संस्थान जो भी हो, के मामले में, केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के संबंद्ध प्राशासकीय मंत्रालय को।

(6) यह लाइसेंस आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की अनुसूची-5 में शर्त -1 के भी अधीन होगा।

(7) ऐसा माल बिना किसी रियायती अवधि के, चाहे वह अवधि कुछ भी हो, 31 मार्च, 1983 को अथवा उससे पूर्व भारत को लदान कर गया हो अथवा 20 फरवरी, 1983 को या उससे पहले की गई और विदेशी मुद्रा के व्यापारी (बैंक) के साथ पंजीकृत पक्की संविदा के मद्दे। मशीनरी/उपस्कर/फालतू पुर्जों के मामले में 31 मार्च, 1984 को अथवा इससे पहले भारत को परेषण के माध्यम से लदान कर दिया गया हो।

(8) यदि माल के आयात के समय उसके आयात पर प्रभाव डालने वाला कोई निर्बंध या विनियम लागू होगा तो इस लाइसेंस का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[मिसिल सं० आईपीसी/3/2/82]

ORDER NO. 5/82

OPEN GENERAL LICENCE NO. 5/82

New Delhi, the 5th April, 1982

S.O. 243(E)—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby gives general permission to import into India from any country except the Union of South Africa/South West Africa, items of raw materials, components, consumables, machinery, equipment, instruments, accessories and spares, required by any research and development unit, scientific or research laboratory, institution of

higher education and hospitals, recognised by the Central or State Governments, subject to the following conditions:—

(i) The importer shall produce to the customs authorities at the time of clearance, a declaration giving particulars of its recognition by Central or State Government, as the case may be, and declaring that the items imported are required for its own use. In the case of R&D units, they shall also declare that the imported item is required for R&D purposes.

(ii) Items of consumer goods, howsoever described, shall not be permitted for import under this Licence. Import of office machines will also not be allowed under this Licence.

(iii) The goods so imported have not been produced or manufactured in the Union of South Africa/South West Africa.

(iv) In respect of computer systems and spares the import will be allowed on production of clearance by the Department of Electronics, New Delhi.

(v) The importers shall furnish to the authorities mentioned below within 30 days of the clearance of goods from Customs, the particulars of the goods so imported by them, for a value each of Rs. 1 lakh or more :—

(i) Department of Science & Technology, New Delhi in the case of R&D units and Scientific and Research Laboratories.

(ii) Department of Electronics, New Delhi, in respect of electronic items.

(iii) DGTD, New Delhi, in the case of units registered with them.

(iv) Administrative Ministry of the Central or State Government concerned, as the case may be in the case of hospitals and institutions of higher education.

(vi) This Licence shall also be subject to the condition No. 1 in Schedule V to the Imports (Control) Order, 1955.

(vii) Such goods are shipped on through consignment to India on or before 31st March, 1983 or, in the case of machinery/equipment/ spares shipped on or before 31st March, 1984 against firm contract entered into and registered with a foreign exchange dealer (Bank on or before 20th February, 1983, without any grace period whatsoever.

(viii) Nothing in this Licence shall affect the application to any goods, of any prohibition or regulation affecting the import thereof, in force, at the time when such goods are imported.

[File No. IPC/3/2/82]

आदेश सं० 6/82

खुला सामान्य लाइसेंस सं० 6/82

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1982

का० आ० 244(अ) :—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्न लिखित शर्तों के अधीन दक्षिण अफ्रीका/दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका संघ को छोड़कर किसी भी देश के आयात एवं निर्यात नीति 1982-83 (जिल्द-1) के परिशिष्ट 8 और 9 में निहित संबद्ध मदों के सामने उल्लिखित मनोनीत सार्वजनिक क्षेत्र (मरणीबद्ध) अभिकरणों द्वारा उक्त परिशिष्ट में विशिष्टिकृत माल का भारत में आयात करने की सामान्य अनुमति देती है :—

(1) आयात इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा रिहा की गई विदेशी मुद्रा के मद्दे किए जाएंगे।

(2) आयातित माल का वितरण संबद्ध मरणीबद्ध अभिकरण द्वारा निर्धारित नीति और क्रियाविधि के अनुसार किया जाएगा।

(3) इस तरह आयात किया गया माल दक्षिण अफ्रीका/दक्षिण पश्चिम अफ्रीका संघ में तैयार अथवा विनिर्मित न किया गया हो।

(4) भारत को ऐसे माल का लदान बिना किसी रियायती अवधि के चाहे जो कुछ भी हो 30 सितम्बर, 1983 को या इससे पूर्व परेषण के माध्यम से कर दिए जाते हैं। बशर्ते कि 31 मार्च, 1983 को या इससे पहले पक्के आदेश कर दिए गए हैं।

(5) यह लाइसेंस आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की अनुसूची-5 में शर्त-1 के भी अधीन होगा।

(6) इस प्रकार के माल का आयात करते समय लागू कोई भी निषेध या उसके आयात को प्रभावित करने वाला विनियम इस लाइसेंस के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के माल के आयातों को प्रभावित नहीं करेगा।

[मिसिल सं० आई०पी०सी०/3/2/82]

ORDER NO. 6/82

OPEN GENERAL LICENCE NO. 6/82

New Delhi, the 5th April, 1982

S.O. 244(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby gives general permission to import into India from any country except the Union of South Africa/South West Africa, the goods of the description specified in Appendix 8 and Appendix 9 of Import & Export Policy, 1982-83 (Vol. I), by designated Public Sector (Canalising) Agencies mentioned against the relevant items in the said Appendices, subject to the following conditions :—

(i) The imports shall be made against the foreign exchange released by Government for the purpose;

(ii) Imported goods shall be distributed by the Canalising agency concerned in accordance with the policy and procedure laid down;

(iii) The goods so imported have not been produced or manufactured in the Union of South Africa/South West Africa;

(iv) Such goods are shipped on through consignments to India on or before 30th September, 1983, without any grace period, whatsoever, provided firm order is placed on or before 31st March, 1983;

(v) This Licence shall also be subject to condition No. 1, in Schedule V to the Imports (Control) Order, 1955;

(vi) Nothing in this Licence shall affect the application to any goods of any other prohibitioner regulation, affecting the imports thereof in force, at the time when such goods are imported.

[File No. IPC/3/2/82]

आदेश सं० 7/82

खुला सामान्य लाइसेंस संख्या-7/82

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1982

का० आ० 245(अ) :—आयात-निर्यात (नियंत्रण), अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा जिगों, जुड़नारों, मोल्डस (डाय कास्टिंग के लिए मोल्डस सहित) मोल्डस के पुर्जों और प्रैस औजारों (1982-83 की आयात-निर्यात नीति (खा०-1) के परिशिष्ट-1, 3 और 4 में प्रदर्शित से भिन्न) के भारत में आयात की सामान्य अनुमति दक्षिण अफ्रीका संघ/दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका को छोड़कर किसी भी देश से निम्नलिखित शर्तों के अधीन देती है :—

(1) आयातक अपने निजी संस्थान में उपयोग के लिए ऐसी मदों की आवश्यकता रखते हुए महानिदेशक तकनीकी विकास, नई दिल्ली या सम्बद्ध राज्य के उद्योग निदेशक या अन्य सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी जो भी हों, के साथ पंजीकृत एक वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) हो,

(2) इस प्रकार आयात किया गया माल नए निर्माण का होगा । यदि वे पुरानी या मरम्मत की गई मदें होंगी तो उनके आयात की अनुमति केवल तब दी जाएगी जब कि मशीनरी केवल 10 वर्ष से अधिक पुरानी न हो और उसका शेष जीवन 5 वर्ष से कम न हो और इस सम्बन्ध में जिस देश से आयात किया जाए उस देश के सनदी इंजीनियर का एक प्रमाण-पत्र साक्ष्य के रूप में निकासी के समय सीमा शुल्क प्राधिकारी को उस के संतुष्टीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाए ।

(3) औद्योगिक लाइसेंस पंजीकरण अर्थात् औद्योगिक एकक के रूप में वास्तविक उपयोक्ता को जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंस पंजीकरण संख्या तथा दिनांक और विनिर्मित अन्तिम उत्पाद के ब्यौरे देते हुए सम्बद्ध वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक माल की निकासी के समय सम्बद्ध सीमा शुल्क प्राधिकारियों को एक घोषणा पत्र यह शपथ देते हुए प्रस्तुत करेगा कि ऐसा लाइसेंस/पंजीकरण न तो रद्द किया गया है, न वापस लिया गया है और न अन्य प्रकार से अप्रभावी किया गया है । जिन मामलों में सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा अलग पंजीकरण सं० आबंटित न की गई हो उनमें आयातक सीमा शुल्क प्राधिकारियों की संतुष्टि के लिए अन्य उचित साक्ष्य प्रस्तुत करेगा ।

(4) 30-9-1982 और 31-3-1983 को आयातित पूंजीगत माल और उसके लागत बीमा-भाड़ा मूल्य का विवरण देते हुए आयातक मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली के कार्यालय में सांख्यिकी निदेशक को आवधिक विवरण पत्र भेजेगा । ऐसा प्रत्येक विवरण पत्र निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर भेजा जाएगा ।

(5) यह लाइसेंस आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की अनुसूची-5 शर्त सं० 1 के भी अधीन होगा ।

(6) इस प्रकार आयात किया गया माल दक्षिणी संघ/दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में उत्पादित या विनिर्मित न हों ।

(7) ऐसे माल का पोतलदान 31 मार्च, 1983 को या इससे पूर्व भारत को प्रेषण के माध्यम से या 28-2-1983 को या इससे पहले खोले गए अपरिवर्तनीय साख-पत्रों के लिए पक्के आदेशों के मद्दे 31 मार्च, 1984 को या इससे पूर्व कर दिया गया हो और जो कुछ भी हो इसमें किसी किस्म की रियायती अवधि की स्वीकृति नहीं दी जाएगी ।

(8) इस प्रकार का माल आयात करते समय लागू कोई भी निषेध अथवा उसके आयात को प्रभावित करने वाला विनियम इस लाइसेंस के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के माल के आयातों को प्रभावित नहीं करेगा ।

(9) यह लाइसेंस किसी भी वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) जब अन्य कानून या विनियमों की शर्तों के अधीन आता हो उसे दायित्व या किसी आवश्यकता का अनुपालन करने से कोई उन्मुक्ति, छूट या ढील प्रदान नहीं करता है । आयातक को इसके लिए लागू अन्य कानूनों का अनुपालन करना चाहिए ।

[मिसिल संख्या-आईपीसी 3/2/82]

ORDER NO. 7/82

OPEN GENERAL LICENCE NO. 7/82

New Delhi, the 5th April, 1982

S.O. 245(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby gives general permission to import into India from any country, except the Union of South Africa/South West Africa, Jigs, fixtures, moulds (including moulds for diecasting), parts of moulds and press tools (other than those appearing in Appendices 1, 3 and 4 of the Import & Export Policy, 1982-83 (Vol. I), subject to the following conditions :—

(1) The importer is an Actual User (Industrial) registered with the DGTD, New Delhi or the concerned

State Director of Industries or other sponsoring authority concerned, as the case may be, requiring such items for use in his own undertaking;

(2) The goods so imported shall be of new manufacture. If they are second-hand or reconditioned items, their import will be permitted only if the machinery is not more than ten years old and its remaining life is not less than five years, and evidence to this effect in the form of a certificate of a Chartered Engineer in the country from which the import is made, is produced to the satisfaction of the customs, authority at the time of clearance;

(3) The Actual Users (Industrial) concerned shall produce to the satisfaction of the customs authorities concerned at the time of clearance, a declaration giving particulars of his industrial licence/Registration certificate, namely, the Number and Date of the Industrial Licence/Registration issued to the Actual User as an industrial unit and the end-product(s) manufactured, and affirming that such licence/registration has not been cancelled or withdrawn or otherwise made in-operative. In cases, where separate registration number has not been allotted by the sponsoring authority concerned, he shall produce appropriate other evidence to the satisfaction of the customs authorities;

(4) The importer shall furnish periodical returns to the Director of Statistics, Office of the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi, giving the description of the goods imported and their c.i.f. value, as on 30th September, 1982 and 31st March, 1983. Each such return shall be furnished within 15 days of the close of the period concerned.

(5) This Licence shall also be subject to the condition No. 1 in Schedule V to the Imports (Control) Order, 1955;

(6) The goods so imported have not been produced or manufactured in the Union of South Africa/South West Africa;

(7) Such goods are shipped on through consignment to India on or before 31st March, 1983 or on or before 31st March, 1984 against firm orders for which irrevocable Letters of Credits are opened on or before the 28th February, 1983, without any grace period, what-so-ever;

(8) Nothing in this Licence shall affect the application to any goods, of any other prohibition or regulation affecting the import thereof, in force, at the time when such goods are imported;

(9) The Licence does not confer any immunity, exemption or relaxation at any time from an obligation or compliance with any requirement to which the Actual Users (Industrial) may be subject under other laws or regulations. The importers should comply with the provision of all other laws applicable to them.

[File No. IPC/3/2/82]

आदेश सं 8/82

खुला सामान्य लाइसेंस सं० 8/82

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1982

का० आ० 246(अ) :—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन दक्षिण अफ्रीका दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका संघ को छोड़कर, किसी भी देश से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (आ० एन० जी० सी०) आयल इंडिया लि०, सर्वश्री भारत स्वर्ण खान लि० द्वारा कच्चे माल की सभी मदों, संघटकों, उपभोज्य, मशीनरी, उपकरण और, यंत्र उप-साधकों, औजारों और फालतू पुर्जों (किन्तु उपभोज्य माल को छोड़कर, चाहे उसका उल्लेख किसी भी प्रकार क्यों न किया गया) का भारत में आयात करने की सामान्य अनुमति देती है :—

(1) आयात के लिए स्वीकृत मदें वे ही मदें होंगी जिनकी देशी दृष्टि से महानिदेशक, तकनीकी विकास, नई दिल्ली द्वारा निकासी की स्वीकृति प्रदान कर दी गई हो। जहां किसी भी इलैक्ट्रानिक मद में 5 लाख रुपए के लागत-बीमा भाड़ा मूल्य के या इससे अधिक मूल्य के प्रतिकृति उपकरण और समुद्रीय इलैक्ट्रानिक्स उपकरण और मूल्य को ध्यान रखे बिना इनके पुर्जे शामिल हों तो आयात की स्वीकृति इलैक्ट्रानिक विभाग द्वारा निकासी की स्वीकृति प्रदान करने के बाद ही दी जाएगी। इस संबंध में साक्ष्य सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को भेजे जाएंगे। नीचे दिए गए पैरा (3) और (4) के लिए देशी निकासी की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) आयात इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा रिहा की गई विदेशी मुद्रा के मददे किए जाएंगे, लेकिन नीचे के पैरा (3) और (4) में आने वाले को छोड़कर;

(3) जहां सर्विस संविदाएं उस विदेशी ठेकेदार को दी गई हैं, जो कार्य के निष्पादन के लिए उपकरण लाता है बशर्ते कि (क) ऐसे उपकरणों के आयात के लिए भुगतान न किया जाना हो और (ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग वह वचन दे कि कार्य की समाप्ति पर, ऐसे उपकरण पुनः निर्यात कर दिए जाएंगे। यदि आयातित उपकरण प्रोजेक्टर या कैमरा, जैसी किसी मद के साथ जोड़ी गई हैं जो कि उसके पुर्जे बनाती हों तो ऐसी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का आयात, ओ०एन० जी० सी० मुख्य उपकरण के साथ दिए उसका पुनःनिर्यात करने के लिए/वचन के अधीन होगा।

(4) जहां सर्वश्री मजगांव डाक्स लि० अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के इसी प्रकार के किसी अन्य उपक्रम को आफ-शोर संविदा दी जाती है और विदेशी इंजीनियरों विशेषज्ञों की सेवाएं कार्यों को पूरा करने में लगी हुई हैं और ऐसे इंजीनियर विशेषज्ञ कार्य के निष्पादन के लिए औजार, यंत्र और उपस्कर लाते हैं, बशर्तेकि (क) विषयाधीन माल के आयात का भुगतान नहीं करना होगा और (ख) सर्वश्री मजगांव डाक्स या अन्य सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन यह वचन देता है कि आयातित औजार यंत्र और उपस्कर उस कार्य को पूरा होने के पश्चात् पुनः निर्यात कर दिए जाएंगे।

(5) ओ० एन० जी० सी० से आफ-शोर संविदाएं प्राप्त करने वाले निजी क्षेत्र के संस्थानों द्वारा माल आयात किया जाना है और ऐसी संविदा के निष्पादन के लिए माल उनके द्वारा अपेक्षित है।

(6) आयात "वास्तविक उपभोक्ता," शर्त के अधीन होगा।

(7) यह लाइसेंस आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की अनुसूची-5 की शर्त-1 के अधीन होगा।

(8) इस तरह आयात किया गया माल दक्षिण अफ्रीका/दक्षिण पश्चिम अफ्रीका संघ में तैयार अथवा विनिर्मित न किया गया हो।

(9) भारत को ऐसे माल का लदान बिना किसी रियायती अवधि के चाहे जो कुछ भी हो, 31 मार्च, 1983 को या इससे पूर्व परेषण के माध्यम से कर दिए जाते हैं या मशीनरी और फालतू पुर्जों के के मामले में इनका लदान 28-2-83 को इससे पूर्व विदेशी मुद्रा विनियम के व्यापारी (बैंक) के साथ पंजीकृत और की गई पक्की संविदा के मद्दे 31 मार्च, 1984 को या इससे पूर्व कर दिया जाता है।

(10) इस प्रकार का आयात करते समय लागू कोई भी निषेध अथवा उसके आयात को प्रभावित करने वाला विनियम इस लाइसेंस के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के माल के आयातों को प्रभावित नही करेगा।

[मि०सं०आईपीसी 3/2/82]

ORDER NO. 8/82

OPEN GENERAL LICENCE NO. 8/82

New Delhi, the 5th April, 1982

S.O. 246(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby gives general permission to import into India from any country, except the Union of South Africa/South West Africa, all items of raw materials, components, consumables, machinery, equipment, instruments, accessories, tools and spares (but not consumer goods how-so-ever described), by the Oil and Natural Gas Commission (ONGC), Oil India Limited and M/s. Bharat Gold Mines Ltd., subject to the following conditions :—

(1) The items permitted for import shall be those cleared by the DGTD, New Delhi from indigenous angle. Where import of any electronics items including facsimile equipment for a cif value of Rs. 5 lakhs or more and marine electronics equipment and parts irrespective of value, is involved, the import shall be allowed only after clearance is given by the Department of Electronics. Evidence to this effect shall be produced to the customs authorities. Indigenous clearance will not be required under (3) and (4) below;

(2) The import shall be made only against foreign exchange released by the Government for the purpose, except under (3) and (4) below.

(3) Where a service contract has been awarded to a foreign contractor, who brings equipment for execution of work, provided that (a) import of such equipment is not to be paid for and (b) the Oil & Natural Gas Commission undertakes that such equipment shall be re-exported after completion of the work. If the imported equipment is fitted with any item such as projector or camera, which forms its part the import of such consumer durables shall be subject to ONGC undertaking their re-export alongwith the main equipment.

(4) Where an off-shore contract is awarded to M/s. Mazagaon Docks Ltd. or to any other similar undertaking in the public sector, and services of foreign engineers/specialists are engaged for completion of the work, and such engineer/specialist brings tools, instruments and equipment for execution of work, provided (a) the import of the goods, in question, is not to be paid for, and (b) M/s. Mazagaon Docks or the concerned public sector organisation undertakes that the imported tools, instruments and equipment shall be re-exported after completion of work.

(5) The goods are required to be imported by public sector undertaking receiving off-shore contracts from ONGC, and are required by them for execution of such contract.

(6) The import shall be subject to "Actual User" condition.

(7) This licence shall also be subject to the condition No. 1 in Schedule V of the Imports (Control) Order, 1955.

(8) The goods so imported have not been produced or manufactured in the Union of South Africa/South West Africa.

(9) Such goods are shipped on through consignment to India on or before 31st March, 1983, or in the case of machinery and spares, these are shipped on or before 31st March, 1984 against firm contracts entered into and registered with a foreign exchange dealer (Bank) on or before 28th February, 1983, without any grace period what-so-ever.

(10) Nothing in this licence shall affect the application to any goods, of any other prohibition or regulation affecting the import thereof, in force at the time when such goods are imported

[File No. IPC/3/2/82]

आदेश सं० 9/82

खुला सामान्य लाइसेंस सं० 9/82

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1982

का० आ० 247(अ):—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा सामान्य रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स और अन्य उन एयर लाइन को जो आई० ए० टी० ए० के सदस्य हैं, फालतू पुर्जों, उपभोज्य सामग्री 1982-83 (खा० 1) की आयात-निर्यात नीति के परिशिष्ट 9 के अंतर्गत आने वाली ग्रीज और स्नेहक को छोड़कर एयरक्राफ्ट के टायर और ट्यूब, पुस्तिकाओं, तकनीकी ड्राइंग और उनके द्वारा संचालित और रक्षित एयरक्राफ्ट के फ्लीट से संबद्ध निर्देशन और अन्य तकनीकी साहित्य और

संबंधित परीक्षण और प्रशिक्षण उपकरणों को आयात करने की स्वीकृति प्रदान करती है :—

(1) कोई भी उपभोज्य सामान चाहे उसका किसी भी प्रकार उल्लेख क्यों न किया गया हो इस खुले सामान्य लाइसेंस की व्यवस्थाओं के अधीन उसे आयात करने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

(2) आयातित मदें "वास्तविक उपयोक्ता शर्त" के अधीन होंगी।

(3) निकासी के समय आयातक एयरलाइन और आई० ए० टी० ए० के अंतर्गत वर्तमान सदस्यता के ब्यौरे को दर्शाते हुए सीमा शुल्क प्राधिकारियों को एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा।

(4) एयरक्राफ्ट संचालन कम्पनियां अपने एयरक्राफ्टों के रख रखाव के लिए सीमा शुल्क को साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कि आयातक पंजीकृत है या दुकान और संस्थानों के लिए लागू स्थानीय नियम के अधीन कम से कम तीन वर्षों से प्रमाण पत्र प्राप्त किए हुए हैं, आयात और निर्यात नीति, 1982-83 (बा० 1) के परिशिष्ट 3, 4, 15 या 30 में दर्शाए गए से भिन्न फालतू पुर्जों का आयात कर सकता है।

(5) कार्यकारी एयरक्राफ्ट के स्वामी, चाहे निजि अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में हों, अपने एयरक्राफ्ट के रख रखाव के लिए आयात और निर्यात नीति, 1982-83 (बा० 1) के परिशिष्ट 3, 4, 15 या 30 में दर्शाए गए से भिन्न फालतू पुर्जों का आयात कर सकते हैं।

(6) आयातित माल दक्षिण अफ्रीका संघ/दक्षिण पश्चिम अफ्रीका से और या वहां उत्पादित या विनिर्मित नहीं होने चाहिए।

(7) भारत को माल का लदान बिना किसी रिआयती अवधि के चाहे जो कुछ भी हो 31 मार्च, 1983 को या इससे पूर्व परेषण के माध्यम से कर दिये जाते हैं।

(8) यह लाइसेंस आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की अनुसूची-5 की शर्त-1 के अधीन होगा।

(9) इस प्रकार के माल का आयात करते समय लागू कोई भी निषेध अथवा उसके आयात को प्रभावित करने वाला विनियम इस लाइसेंस के अंतर्गत किसी भी प्रकार के माल के आयात को प्रभावित नहीं करेगा।

[मिसिल सं० आईपीसी 3/8/82]

ORDER NO. 9|82

OPEN GENERAL LICENCE NO. 9|82

New Delhi, the 5th April, 1982

S.O. 247(E).—In exercise of the powers conferrd by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby gives general permission to Air India, Indian Airlines and other Airlines who are members of the IATA, to import spares, consumables (excluding greases and lubricants covered by Appendix 9 to the Import and Export Policy, 1982-83 (Volume I), aircraft tyres and tubes, manuals, technical drawings, illustrations and other technical literature pertaining to the fleet of aircraft operated and maintained by them and the associate test and training equipments, subject to the following conditions :—

(i) No consumer goods how-so-ever described shall be imported under the provisions of this Open General Licence;

(ii) The imported items shall be subject to the "Actual User" condition;

(iii) The importer shall furnish to the Customs authorities at the time of clearance, a declaration giving particulars of the airline and its current membership of the IATA;

(iv) Companies operating aircraft can import spares other than those appearing in Appendices 3, 4, 15 or 30 of import & export policy, 1982-83 (Volume I), for maintenance of their aircrafts, on production of evidence to the customs that the importer has been registered or holds a certificate for at least three years under the local law applicable to shops and establishments;

(v) Owners of executive aircraft, whether in private or public sector, can import spares other than those appearing in Appendices 3, 4, 15 or 30 of import & export policy, 1982-83 (Volume I) for maintenance of their executive aircrafts;

(vi) The goods imported should not be from and or have not been produced or manufactured in the Union of South Africa/South West Africa;

(vii) Goods are shipped on through consignment to India on or before 31st March, 1983 without any grace period, what-so-ever;

(viii) This Licence shall also be subject to the condition No. 1 in Schedule V to the Imports (Control) Order, 1955;

(ix) Nothing in this licence shall affect the application to any goods, of any other prohibition or regulation affecting the import thereof in force, at the time when such goods are imported.

[File No. IPC/3/2/82]

आदेश संख्या 10/82

खुला सामान्य लाइसेंस संख्या 10/82

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1982

का० आ० 248 (अ) :—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसमें संलग्न अनुसूची में विशिष्टिकृत व्यौरों की मदों का, प्रत्येक मद के सामने संकेतिक पात्र वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा दक्षिण

अफ्रीका दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका संघ को छोड़कर किसी भी देश से निम्नलिखित शर्तों के अधीन भारत में आयात करने की सामान्य अनुमति देती है :—

(1) अनुसूची में प्रत्येक मद के सामने संकेतित मूल्य सीमा के भीतर और विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए आयात किया जाएगा,

(2) संलग्न अनुसूची में क्रम सं० 2, 4, 5 और 6 पर उल्लिखित चिकित्सा औजार आदि, वैज्ञानिक और मोटर वाहन तथा कृषि ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जों के मामले में, पात्र आयातक इस प्रावधान के अधीन उसी वित्तीय वर्ष में पहले से ही आयातित ऐसे माल के लागत-बीमा भाड़ा मूल्य के बारे में, सीमा शुल्क प्राधिकारी को निकासी के समय घोषणा पत्र देगा,

(3) मोटर वाहन और कृषि ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जों के मामले में, आयातक को सीमा शुल्क प्राधिकारी को, मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के अधीन करों के अद्यतन भुगतान छूट के साक्ष्य सहित, सम्बद्ध वाहन या ट्रैक्टर का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा,

(4) ये माल 31 मार्च, 1983 को या उससे पूर्व बिना किसी रियायती अवधि के चाहे जो भी हो, भारत को परेषण के जरिये भेजे गए हों,

(5) आयात "वास्तविक उपयोक्ता" शर्त के अधीन होगा,

(6) यह लाइसेंस आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की अनुसूची-5 की शर्त-1 के अधीन होगा,

(7) इस प्रकार के माल का वास्तव में आयात करते समय लागू कोई भी निषेध अथवा उसके आयात को प्रभावित करने वाला विनियम इस लाइसेंस के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के माल के आयात को प्रभावित नहीं करेगा ।

[मिसिल सं० आई पी सो 3/2/82]

खला सामान्य लाइसेंस संख्या 10/82, दिनांक 5 अप्रैल, 1982

सं०	मद	पात्र आयातक, मूल्य सीमा और आयात करने का उद्देश्य
1	2	3
1.	भेषज और औषध	(1) अस्पताल और चिकित्सा संस्थानों द्वारा उनके स्वयं के उपयोग के लिए बशर्ते कि किसी भी समय में ऐसे आयातित माल का लागत बीमा-भाड़ा मूल्य 25 हजार रूपए से अधिक नहीं होगा,
		(2) किसी भी व्यक्ति द्वारा उसके निजी उपयोग के लिए बशर्ते कि किसी भी एक समय में ऐसे आयातित माल का लागत-बीमा भाड़ा मूल्य एक हजार रुपए से अधिक नही होगा, और
		(3) पंजीकृत चिकित्सक द्वारा उनके स्वयं के व्यवसाय में उपयोग के लिए बशर्ते कि एक समय में ऐसे आयातित माल का लागत बीमा भाड़ा मूल्य 5 हजार रुपए से अधिक नहीं होगा ।
2.	(क) चिकित्सा जिसमें शल्य चिकित्सक, आप्टिकल और दन्त चिकित्सा संबंधी औजार, उपकरण और यंत्र बदलाई के पुर्जे और उनके अनुसंगी एवं दन्त चिकित्सा सामान भी शामिल हैं ।	(1) अस्पताल या चिकित्सा संस्थाओं द्वारा उनके स्वयं के उपयोग के लिए बशर्ते कि ऐसे आयातित माल का लागत बीमा-भाड़ा मूल्य एक वित्तीय वर्ष के दौरान दो लाख रुपए से अधिक नहीं होगा ।
	ख. आयात-निर्यात नीति 1982-83 (जिल्द-1) के परिशिष्ट 10 की सूची-5 में दर्शाई गयी शल्य-चिकित्सा के लिए खोखन और सूइयां	(2) पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा उनके स्वयं के उपयोग के लिए बशर्ते कि ऐसे आयातित माल का लागत बीमा भाड़ा मूल्य एक वित्तीय वर्ष के दौरान पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगा ।
3.	एक्सरे इन्टैसिफाइस स्क्रीन	अस्पताल और रेडियोलाजिकल क्लिनिकों द्वारा उनके स्वयं के उपयोग के लिए बशर्ते कि किसी भी एक समय में ऐसे आयातित माल का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक नहीं होगा ।

1	2	3
4.	वैज्ञानिक और माप औजार एवं रसायन	विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग और औषध के क्षेत्र के डाक्टरों द्वारा उनके स्वयं के उपयोग के लिए (इस संबंध में सीमा शुल्क प्राधिकारियों को साक्ष्य प्रस्तुत करने पर) बशर्ते कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे आयातित माल का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य दस हजार रूपए से अधिक नही होता।
5.	परीक्षण उपकरण, परीक्षण औजार और रसायन	राज्य औषध नियंत्रक की सिफारिश प्रस्तुत करने पर उनके स्वयं उपयोग के लिए एक वर्ष में 50,000/-रुपए (लागत-बीमा-भाड़ा) तक के कुल मूल्य के लिए औषध तथा श्रृंगार प्रसाधन अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत अनुमोदित परीक्षण प्रयोगशालाएं।
6.	रेयर अर्थ आक्साइड	परमाणु ऊर्जा विभाग, बम्बई की सिफारिश प्रस्तुत करने पर वास्तविक उपयोक्ता।
7.	बिना टेप (सी, ओ) के बोडियो केसट और उसके पुर्जे	वास्तविक उपयोक्ता।
8.	मोटर वाहन और कृषि ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जे	वह व्यक्ति जिसके पास आयातित वाहन/कृषि ट्रैक्टर है, उसके द्वारा उसके स्वयं के उपयोग के लिए एक वित्तीय वर्ष के दौरान पांच हजार रुपए लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य तक।
9.	अव्यवसायी रेडियो संचार उपस्कर जिसमें किट्स, उपसाधित (अन्टीना, रोटरी मोटर, फीड लाइन, स्टैंडिंग वेव रेडियो ब्रिज सहित) यन्त्र, फालतू पुर्जे और संघटक शामिल हैं। उपस्कर निम्नलिखित फ्रीक्वेन्सी रेन्ज और सीमाओं के भीतर समरूप हों	लाइसेंसधारी रेडियो अव्यवसाइयों द्वारा उनके निजी कार्यों के लिए (इस सम्बन्ध में सीमा शुल्क प्राधिकारियों को साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा) बशर्ते कि एक वित्तीय वर्ष में आयात किए गए ऐसे माल का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य 10 हजार रुपए से अधिक न हो।

1	2	3
		भारत सरकार संचार मंत्रालय वायरलेस योजना एवं समन्वय खंड की पूर्व अनुमति के बिना आयातित माल किसी भी पार्टी या व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा।

1. हाई फ्रीक्वेन्सी (एच० एफ०)

मीटर बैन्ड	फ्रीक्वेन्सी रेन्ज	उत्पादन पावर लिमिट
160 एम	1.8 से 2.0 एम एच जेड तक	150 वाट्स
80 एम	3.5 से 4.0 एम एच जेड तक	150 "
40 एम	7.0 से 7.5 एम एच जैड तक	150 "
20 एम	14.0 से 14.50 एम एच जैड तक	150 "
15 एम	21.0 से 21.50 एम एच जैड तक	150 "
10 एम	28.0 से 30.00 एम एच जैड तक	150 "

2. वेरि हाई फ्रीक्वेन्सी (वी० एच० एफ०)

2 एम	144 से 148 एम एच जैड तक	25वाट्स

3. अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेन्सी (यू० एच० एफ०)

70 एम	430 से 440 एम एच जैड तक	25वाट्स

टिप्पणी :—हाई फ्रीक्वेन्सी ट्रान्सरिसीवर में भी कोलिब्रेशन उद्देश्य के लिए 10 एम० एच० जैड० या 15 एम० एच० जैड० स्टैन्डर्ड फ्रीक्वेन्सी रिसेप्शन सुविधा शामिल है।

ORDER NO. 10/82

OPEN GENERAL LICENCE NO. 10/82

New Delhi, the 5th April, 1982

S.O. 248(E).—In exericse o the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby gives general permission to import into India from any country except the Union of South Africa/South West Africa, the items of the description specified in the Schedule annexed hereto, by eligible Actual Users mentioned against each item, subject to the following conditions :—

(1) The import shall be within the value limit indicated against each item in the Schedule and for the purpose specified,

(2) In the case of medical instruments, etc., scientific instruments and chemicals and spare parts of motor vehicles and agricultural tractors, referred to at Serial Nos. 2, 4, 5 and 6 in the annexed schedule, the eligible importer shall, at the time of clearance,

give a declaration to the customs authority about the c.i.f. value of such goods already imported under this provision in the same financial year;

(3) In the case of spare parts of motor vehicles, and agricultural tractors, the importer shall also produce to the customs authority the valid Registration Certificate of the vehicle or the tractor concerned, with an evidence of upto date payment/exemption of taxes under the Motor Vehicles Act, 1939;

(4) The goods are shipped on through consignment basis to India on or before 31st March, 1983, without any grace period, what-so-ever;

(5) Import shall be subject to "Actual User" condition.

(6) The licence shall also be subject to condition No. 1 in Schedule V to the Imports (Control) order, 1955;

(7) Nothing in this licence shall affect the application to any goods of any prohibition or regulation affecting the import thereof, in force at the time when they are actually imported.

[File No. IPC/3/2/82]

SCHEDULE TO OGL NO. 10/82 DATED THE 5TH APRIL, 1982

No.	Item	Eligible importers, value limit and purpose of import
1	2	3
1.	Drugs and medicines.	(i) Hospitals and medical institutions for their own use, provided the c.i.f. value of such goods imported at any one time shall not exceed twenty-five thousand rupees; (ii) Any individual, for his personal use, provided the c.i.f. value of such goods imported at any one time shall not exceed one thousand rupees; and (iii) Registered medical practitioners, for their own professional use, provided the c.i.f. value of such goods imported at any one time shall not exceed five thousand rupees.
2.	(a) Medical including surgical, optical and dental instruments, apparatus and appliances and replacement parts and accessories thereof and dental materials.	(i) Hospitals and medical institutions, for their own use, provided the c.i.f. value of such goods imported shall not exceed two lakhs rupees, in a financial year.
	(b) Sutures and needles for surgical purposes appearing in list 5 in Appendix 10 of Import & Export Policy, 1982-83 (Vol. I).	(ii) Registered medical practitioners for their own use, provided the c.i.f. value of such goods imported shall not exceed five thousand rupees, in a financial year.
3.	X-Ray intensifying screens.	Hospitals and radiological clinics, for their own use, provided the c.i.f. value of such goods imported at any one time shall not exceed fifty thousand rupees.
4.	Scientific and measuring instruments and chemicals.	Professionals in the fields o science, technology, engineering and medicines, for their own purpose (to which effect evidence shall be produced to the customs authorities), provided the c.i.f. value of such goods imported shall not exceed rupees ten thousand, in a financial year.
5.	Testing equipment, testing instruments and chemicals.	Testing laboratoies approv under the Drugs and Cosmetics Act, 1940, of a total value not exceeding Rs. 50,000/- (c.i.f.) in a year for their own use, on production of recommendation of State Drugs Controller.
6.	Rare Earth Oxide.	Actual Users on production of recommendation from Department of Atomic Energy, Bombay.
7.	Video cassette without tape (C,-0) and parts thereof.	Actual Users
8.	Spare parts of motor vehicles and agricultural tractors.	Persons owning imported vehicles agricultural tractors for their own use, upto c.i.f. value of rupees five thousand in a financial year.
9.	Amateur radio communication equipment including kits, accessories (including antenna rotary motors feed lines standing wave ratio bridge) instruments spares and components. The equipment is to conform within the following frequency ranges and power limitations·	By licensed radio amateur for their own purpose (evidence shall be produced to the Customs authorities to this effect) provided the c.i.f. value of such goods imported in a financial year does not exceed Rs. 10,000/- Goods imported shall not be transferred to any individual or party without prior permission of the Wireless Planning & Coordination Wing of the Ministry of Communications Government of India.

I. High Frequency (H.F.)

Meter Band	Frequency range	Output power limit
160m	1.8 to 2.0 Mhz	150 watts
80m	3.5 to 4.0Mhz	150 watts
40m	7.0 to 7.5Mhz	150 watts
20m	14.0 to 14.50Mhz	150 watts
15m	21.0 to 21.50Mhz	150 watts
10m	28.0 to 30.00Mhz	150 watts
II. Very High Frequency (VHF)		
2m	144 to 146 Mhz	25 watts
III. Ultra High Frequency (UHF)		
70Cms.	430 to 440 Mhz	25 watts

NOTE:—The H.F. transreceivers also incorporate either 10 Mhz or 15 Mhz standard frequency reception facilit for callbration purposes.

आदेश सं० 11/82

खुला सामान्य लाइसेंस सं० 11/82

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1982

का० आ० 249 (अ).—आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार एकीकृत इस्पात संयंत्रों, छोटे इस्पात संयन्त्रों और विद्युतीय ताप भट्टियों द्वारा (क) फायर क्ले स्टोपर हैड्स और नोजल्स से भिन्न स्टोपर हैड्स और नोजल्स और (ख) ताबे के सांचों (लगातार बिलेट की ढलाई के लिए) का दक्षिणी अफ्रीका संघ/दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका को छोड़कर किसी भी देश से आयात करने की सामान्य अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं :—

(1) उपर्युक्त मद (क) का आयात केवल एकीकृत इस्पात संयन्त्रों द्वारा किया जाएगा ;

(2) इस तरह आयात किए जाने वाला माल दक्षिण अफ्रीका/दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका संघ में उत्पादित या विनिर्मित नहीं किया गया हो;

(3) बिना किसी रिआयती अवधि के, जो भी हो, 31 मार्च, 1983 को अथवा इससे पहले प्रेषण के माध्यम से भारत में ऐसे माल का पोतलदान किया गया हो;

(4) आयत "वास्तविक उपयोक्ता" शर्त के अधीन होगा; और

(5) इस प्रकार का माल आयात करते समय लागू कोई भी निषेध अथवा उसके आयात को प्रभावित करने वाला विनियम इस लाइसेंस के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के माल के आयातों को प्रभावित नहीं करेगा।

[मि० सं० आई० पी० सी०/3/2/82]

ORDER NO. 11/82

OPEN GENERAL LICENCE NO. 11/82

New Delhi, the 5th April, 1982

S.O. 249(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Import and Export (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government gives general permission for import by integrated steel plants, mini steel plants and electric arc furnaces of (a) stopper heads and nozzles other than fire clay stopper heads & nozzles (b) copper moulds (for continuous billet casting) from any country except Union of South Africa/South—West Africa, subject to the following conditions :—

(i) Item (a) above shall be imported only by integrated steel plants.

(ii) The goods so imported have not been produced or manufactured in the Union of South Africa/ South West Africa;

(iii) Such goods are shipped on through consignment to India on or before 31st March, 1983, without any grace period, what-so-ever;

(iv) The import shall be subject to 'Actual User' condition ; and

(v) Nothing in this licence shall affect the application to the goods, in question, of any other prohibition or regulation, affecting the import thereof, in force, at the time when such goods are imported.

[F. No. IPC/3/2/82]

आदेश संख्या 12/82

खुला सामान्य लाईसेंस सं० 12/82

नई दिल्ली 5 अप्रैल, 1982

का० आ० 250 (अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दक्षिणी अफ्रीका/दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका संघ के अतिरिक्त किसी भी देश के सरकारी विभागों (केन्द्रीय अथवा राज्य), अथवा सरकारी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित परियोजना से किसी भी माल के भारत में आयात की निम्नलिखित शर्तों के अधीन सामान्य अनुमति देती है :—

1. (1) भारत सरकार और सम्बन्धित विदेशी सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार, विषयाधीन माल का निःशुल्क आयात किया जाना है ;

(2) आयातित माल भारतीय सरकार और सम्बन्धित विदेशी सरकार के बीच किए गए संगत समझौते के अनुसार है, और इस सम्बन्ध में प्रशासनिक मंत्रालय अथवा सम्बन्धित परियोजना प्राधिकारी

द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र निकासी के समय सीमा शुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया जाएगा ;

(3) ऐसे माल का प्रेषण द्वारा भारत में 33 मार्च, 1983 को अथवा उससे पूर्व, बिना किसी रियायती अवधि के चाहे जो कुछ भी हो लदान किया जाता है ;

(4) ऐसे माल दक्षिणी अफ्रीका संघ/दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका संघ में उत्पादित अथवा विनिर्मित नहीं हो, और

(5) किसी माल के लिए उसके आयात को प्रभावी करने वाला कोई अन्य निषेध या विनियम होगा तो ऐसे माल के आयात के समय उसका इस लाइसेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2. इस लाइसेंस के अन्तर्गत दो सरकारों के बीच हुए समझौते के अधीन भारत में परियोजना का निष्पादन करने के लिए भारत आने वाले विदेशी विशेषज्ञों के व्यक्तिगत सामान के आयात की अनुमति भी, निकासी के समय प्रशासनिक मंत्रालय अथवा संबंधित परियोजना प्राधिकारी का इस सम्बन्ध में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी कि आयातित माल (जिसका ब्यौरा प्रमाणपत्र में दिया जाना है) भारत सरकार और सम्बन्धित विदेश सरकार के साथ हुए समझौते के अनुसार किया गया है। आयात इस शर्त पर भी होगा कि ज्यों ही सम्बन्धित विदेशी विशेषज्ञ अपना कार्य पूर्ण कर भारत से जाने लगें तो (उपभोज्य माल से भिन्न) अन्य माल का पुनः निर्यात किया जाएगा।

[मि. सं० आई० पी० सी०/3/2/82]

ORDER No. 12/82

OPEN GENERAL LICENCE NO. 12/82

New Delhi, the 5th April, 1982

S.O. 250(E).—In exercise of the powers conefrerd by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby gives general permission to import into India from any country except the Union of South Africa/South West Africa, any goods by Government Departments (Central or State) or projects owned or controlled by Governments, subject to the following condition :—

(i) The goods, in question, are imported free of cost in pursuance of an agreement between the Government of India and the foreign Government concerned;

(ii) The goods imported are in accordance with the relevant agreement entered into between the Government of India and the foreign Government concerned, and a certificate to this effect issued by the administrative Ministry or the Project Authority concerned shall be produced to the customs authorities at the time of clearance;

(iii) Such goods are shipped on through consignment to India on or before 31st March, 1983 without any grace period what-so-ever;

(iv) The goods so imported have not been produced or manufactured in the Union of South Africa/South West Africa; and

(v) Nothing in this licence shall affect the application to any goods, of any other prohibition or regulation affecting the import thereof, in force at the time when such goods are imported.

2. Under this Licence, import will also be allowed of personal effects of foreign export coming to India under Government to Government agreement for the execution of a project in India on production of a certificate of the Administrative Ministry or the Project Authority concerned at the time of clearance, to the effect that imported goods (to be mentioned in the certificate) are in accordance with the agreement entered into by the Government of India with the foreign Government concerned. The import shall also be subject to the condition that the goods (other than consumptions) are re-exported as soon as the foreign expert concerned leave India after completion of his assignment.

[F. No. IPC/3/2/82]

आदेश सं० 13/82

खुला सामान्य लाईसेंस संख्या-13/82

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1982

का०आ० 251(अ).—आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रत्न तथा आभूषण और स्वर्णकार एवं शिल्पकारों की सहकारी समितियों के पंजीकृत निर्यातकों द्वारा आयात नीति 1982-83 (जिल्द-1) के परिशिष्ट-10 की सूची-1 में दर्शाए गए रत्न और आभूषण के उद्योग के लिए अपेक्षित मशीनरी उपस्कर, परीक्षण उपकरण, औजारों एवं यन्त्रों का आयात करने के लिए दक्षिण अफ्रीका/दक्षिण पश्चिम अफ्रीका संघ को छोड़कर किसी भी देश से आयात करने की सामान्य अनुमति प्रदान करती है:—

(1) आयात "वास्तविक उपयोक्ता" शर्तों के अधीन होगा ;

(2) इस प्रकार आयात किया गया माल नए निर्माण का होगा, यदि वह माल पुराना या मरम्मत की गई मदों के रूप में होगा तो उसके आयात की अनुमति केवल तब दी जाएगी जब मशीनरी 10 वर्ष से अधिक पुरानी न हो और उसकी शेष आयु 5 वर्ष से कम न हो और जिस देश से आयात किया गया हो उस देश के एक मनदी इंजीनियर से माल की निकासी के समय इस सम्बन्ध में एक प्रमाण पत्र सीमा शुल्क प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाता है ;

(3) रत्न एवं आभूषण के पंजीकृत निर्यातक माल की निकासी के समय सीमा शुल्क प्राधिकारियों को अपने पंजीकरण का यह विवरण देते हुए कि रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् के पास निर्यातक के रूप में पंजीकृत हैं और यह शपथ लेते हुए

कि उक्त पंजीकरण न तो रद्द किया गया है न वापस किया गया है न अन्यथा रूप से अप्रभावित किया गया है यह घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे। स्वर्णकारों और शिल्पकारों की सहकारिता समिति इसी प्रकार में सहकारी समिति के रूप में अपने पंजीकरण के विषय में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगी ;

(4) रत्न व आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद भी स्वयं स्थापित किए गए संस्थानों के उपयोग के लिए प्रस्तुत लाइसेंस में शामिल उपस्करों का इसके अधीन आयात कर सकती है ;

(5) इस प्रकार आयातित माल दक्षिण अफ्रीका/दक्षिण पश्चिम अफ्रीका संघ में उत्पादित अथवा विनिर्मित न हो ;

(6) ऐसा माल 31 मार्च, 1983 को अथवा उससे पहले किसी भी रियायत के बिना भारत को परेषण के माध्यम से लाद दिया गया हो ;

(7) यह लाइसेंस आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की अनुसूची-5 की शर्त (1) के अधीन होगा ;

(8) यदि माल के आयात के समय उसके आयात पर प्रभाव डालने वाला कोई निषेध विनियम लागू होगा तो इस लाइसेंस का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी ।

[मिसिल संख्या आईपीसी 3/2/82]

IMPORT TRADE CONTROL
ORDER No. 13/82
OPEN GENERAL LICENCE NO. 13/82

New Delhi, the 5th April, 1982

S.O. 251(E).—In exercise of the power conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government gives general permission for import of machinery equipment, testing apparatus, tools and implements, required for Gem and Jewellery industry appearing in List 1 of Appendix 10 of the Import and Export Policy, 1982-83 (Vol. I), by Registered Exporters of gem and jewellery and Co-operative Societies of goldsmiths and artisans, from any country except the Union of South Africa/South West Africa, subject to the following conditions :—

(1) The import shall be subject to "Actual User" conditions;

(2) The goods so imported shall be of new manufacture; if they are second hand or reconditioned items, their import will be permitted only if the machinery is not more than ten years old and its remaining life is not less than five years, and evidence to this effect in the form of a certificate of a Chartered Engineer in the country from which the import is made, is produced to the satisfaction of the Customs authority at the time of clearance.

(3) Registered Exporter of Gem and Jewellery will furnish to the Customs authorities at the time of clearance of goods, a declaration giving particulars of his registration as an exporter with the Gem & Jewellery Export Promotion Council and affirming that such registration has not been cancelled or withdrawn or otherwise made in-operative. A Co-operative Society of goldsmiths and artisans will, likewise, furnish a declaration about its registration as a Co-operative Society;

(4) The Export Promotion Council for Gem and Jewellery can also import under this Licence, the equipments covered by it, for use of the Institutes set up by the Council;

(5) The goods so imported have not been produced or manufactured in the Union of South Africa/South West Africa;

(6) Such goods are shipped on through consignments to India on or before 31st March, 1983, without any grace period, what-so-ever;

(7) This licence shall also be subject to condition No. 1 in Schedule V to the Imports (Control) Order, 1955;

(8) Nothing in this Licence shall affect the application to any goods, of any other prohibition or regulation affection the import thereof, in force, at the time when such goods are imported.

[F. No. IPC/3/2/82]

आदेश सं० 14/82
खुला सामान्य लाइसेंस सं० : 14/82

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1982

का०आ० 252 (अ) :– आयात-निर्यात (नियंत्रण), अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार दक्षिण अफ्रीका संघ/दक्षिण पश्चिम अफ्रीका को छोड़कर विश्व के किसी भी देश से निम्नलिखित शर्तों के अधीन (क) सरकारी औद्योगिक संस्थान (विभागों द्वारा परिचालित) (ख) रेलवे (ग) सार्वजनिक क्षेत्र में राज्य विद्युतीय बोर्ड/परियोजना संस्थान और (घ) रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक संस्थान को पूंजीगत माल, कच्चे माल, संघटकों, उपभोज्य और फालतू पुर्जों का आयात करने की सामान्य अनुमति प्रदान करती है :–

(1) सरकारी औद्योगिक संस्थानों (विभागों द्वारा परिचालित किन्तु इसमें रक्षा संस्थान शामिल नहीं है) और रेलवे के मामले में पूंजीगत माल, संघटकों, उपभोज्य और फालतू पुर्जों को खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन आयात करने की अनुमति होगी, बशर्ते कि :–

(1) आयात-निर्यात नीति, 1982-83 (जिल्द-1) के परिशिष्ट-3, 4, 6, 15 और 30 के अधीन आने वाली मदों के आयात के लिए महानिदेशक, तकनीकी विकास, नई दिल्ली से देशी निकासी प्राप्त न कर ली गई हो;

(2) जहां 5 लाख रुपए या इससे अधिक के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य की इलैक्ट्रानिक मदें जिनमें प्रतिकृति उपकरण भी शामिल हों और मूल्य

को ध्यान में रखे बिना समुद्रीय इलैक्ट्रानिक उपकरण और उनके पुर्जों का आयात शामिल हो, वहां इलैक्ट्रानिक विभाग, नई दिल्ली से निकासी प्राप्त कर ली गई हो ;

(3) आयातित पूंजीगत माल की मदें वे हैं जो आयात-निर्यात नीति, 1982-83 (जिल्द-1) के परिशिष्ट-2 के अन्तर्गत आती हैं और आयात-निर्यात नीति, 1982-83 (जिल्द-1) के परिशिष्ट-1,3 और 4 में शामिल किए गए से भिन्न जिग्स, जुड़नार, मोल्ड्स (डाय-कास्टिंग के लिए मोल्ड्स सहित), मोल्ड्स के पुर्जे और प्रेस औजार ;

(4) प्रशासकीय मंत्रालय/वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा रिहा की गई विदेशी मुद्रा के मद्दे आयात किया जाता है; और

(5) निकासी के समय सीमा-शुल्क प्राधिकारी को उपर्युक्त (1), (2) और (4) के आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं ।

(2) राज्य विद्युतीय बोर्ड/परियोजना/सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों और महानिदेशक, 'दूरदर्शन' तथा आकाशवाणी, नई दिल्ली के मामले में फालतू पुर्जों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन अनुमेय होगा बशर्ते कि :—

(1) इस उद्देश्य के लिए आयात, सरकार द्वारा रिहा की गई विदेशी मुद्रा के मद्दे किया गया हो ;

(2) गैर-अनुमेय फालतू पुर्जे अर्थात जो 1982-83 की आयात-निर्यात नीति (जिल्द-1) के परिशिष्ट 3,4,15 या 30 में आते हैं उनके लिए देशी निकासी महानिदेशक, तकनीकी विकास नई दिल्ली से प्राप्त कर ली गई हो ;

(3) जहां 5 लाख के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य या इससे अधिक मूल्य की इलैक्ट्रानिक मदों का आयात शामिल हो, वहां निकासी इलैक्ट्रानिक विभाग नई दिल्ली से प्राप्त कर ली गई हो; और

(4) निकासी के समय सीमा-शुल्क प्राधिकारियों की उपर्युक्त (1),(2) और (3) के आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए होंगे ।

(3) रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक संस्थानों के लिए निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे :—

(1) कच्चे माल, संघटकों, उपभोज्य और फालतू पुर्जों के आयात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन दी जाएगी देखिए आयात-निर्यात नीति, 1982-83 (जिल्द-1) के परिशिष्ट-10 की मद सं० 1,2 और 4 किन्तु यह उनमें निर्धारित शर्तों के अधीन है ;

(2) अनुसंधान एवं विकास एकक कच्चा माल और अन्य माल आयात करने के लिए पात्र होंगे, देखिए आयात-निर्यात नीति 1982-83 (जिल्द-1) के परिशिष्ट -10 की मद सं० 5, किन्तु यह उनमें निर्धारित शर्तों के अधीन हैं ;

(3) पूंजीगत माल का आयात तभी अनुमेय होगा यदि वे आयात-निर्यात नीति, 1982-83 (जिल्द-1) के परिशिष्ट-2 में दर्शाई गई हो और जिग्स और जुड़नार के आयात की अनुमति उक्त नीति के परिशिष्ट-10 की मद सं० 6 के अनुसार दी जाएगी ;

(4) कम्प्यूटर के फालतू पुर्जों का आयात 1982-83 की आयात-निर्यात नीति (जिल्द-1) के परिशिष्ट-10 की मद सं० 8 के अनुसार अनुमेय होंगी ;

(5) वे मदें जिनका आयात 1982-83 की आयात-निर्यात नीति (जिल्द-1) के परिशिष्ट-10 के अनुसार खुले सामान्य लाईसेंस के अधीन "वास्तविक उपयोक्ताओं" और/या "सभी व्यक्तियों" द्वारा वहां किया जा सकता है जहां ऐसे माल का आयात करने वाले औद्योगिक एककों द्वारा कच्चे माल, संघटकों या उपभोज्य सामग्री के रूप में अपेक्षित हों ;

(6) वर्ष 1982-83 के दौरान इस प्रकार के आयातों के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा संबद्ध एकक को आबंटित विदेशी मुद्रा से अधिक का कुल आयात नहीं होगा और सीमा शुल्क से निकासी के समय आयातक एकक इस संबंध में एक घोषणा-पत्र प्रस्तुत करेगा कि 1982-83 में संबंधित आयातक एकक को रक्षा मंत्रालय इस उद्देश्य के लिए कुल दी गई विदेशी मुद्रा की धनराशि से निकासी के अधीन है जिनकी निकासी पहले ही कर ली गई है, उनका मूल्य उससे ज्यादा नहीं है ;

(4) इस प्रकार आयातित माल दक्षिण अफ्रीका संघ/दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में विनिर्मित या उत्पादित नहीं हुआ है ।

(5) ऐसा माल भारत को परेषण के माध्यम से 31.3.1983 को या इससे पहले जहाज पर लाद दिया जाता है या कच्चे माल, संघटकों और उप-भोज्य सामग्री के मामले में 28.2.1983 को या इससे पहले खोले गए अपरिवर्तनीय साख-पत्र के लिए दिए गए पक्के आदेशों के मद्दे 30.6.1983 को या इससे पहले माल का लदान कर दिया जाता है या पूंजीगत माल, फालतू पुर्जों के मामले में ये माल की गई पक्की संविदाओं और विदेशी मुद्रा में लेन-देन करने वाले व्यापारी (बैंक) के साथ किए गए पंजीकरण के मद्दे 31.3.84

को या इससे पहले या बिना किसी अवधि वृद्धि के चाहे और जो कुछ भी हो, 28.2.1983 को या उससे पहले जहाज पर लाद दिए जाते हैं ।

(6) किसी माल के लिए उसके आयात को प्रभावी करने वाला कोई अन्य निषेध या विनियम होगा तो ऐसे माल के आयात के समय उसका इस लाइसेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

7. यह लाइसेंस किसी भी समय वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) जब अन्य कानून या विनियमों की शर्तों के अधीन आता हो, उस दायित्व या किसी आवश्यकता के अनुपालन करने से कोई उन्मुक्ति छूट या ढील प्रदान नहीं करता है । आयातक को इसके लिए लागू अन्य कानूनों का अनुपालन करना चाहिए ।

[मि० सं० आई पी सी/3/2/82]

ORDER NO. 14|82

OPEN GENERAL LICENCE NO. 14/82

New Delhi, the 5th April, 1982

S.O. 252(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government gives general permission to (a) Government Industrial Undertaking (Departmentally-run), (b) Railways, (c) State Electricity Boards| Undertakings|Projects, in the public sector, and (b) Public Sector Industrial Undertaking under the Ministry of Defence, to import Capital Goods, raw materials, components consumables and spares, from any country except the Union of South Africa/South-West-Africa, subject to the following conditions :—

1. In the case of Government Industrial Undertakings (Departmentally-run excluding, however, Defence Undertakings), and Railways import of Capital Goods, raw materials, components, consumables and spares will be allowed under OGL provided :—

(i) For import of items covered by Appendices 3, 4, 6, 15 and 30 of the Import and Export Policy, 1982-83 (Vol. I), indigenous clearance has been obtained from DGTD, New Delhi.

(ii) Where import of any electronic items including facsimile equipment for a c.i.f. value of Rs. 5 lakhs or more and marine electronic equipment and parts, irrespective of value, is involved, clearance has been obtained from the Department of Electronics, New Delhi.

(iii) Items of Capital Goods imported are those covered by Appendix 2 of Import and Export Policy 1982-83 (Vol. I) and jigs, fixtures, moulds (including moulds for diecasting), parts of moulds and press tools, other than those in Appendix 1, 3 and 4 of Import and Export Policy, 1982-83 (Vol. I).

(iv) Import is made against foreign exchange released by the Administrative Ministry/Ministry of Finance (Deptt. of Economic Affairs); and

(v) Necessary evidence of (i), (ii) and (iv) above is produced to the customs authority at the time of clearance.

2. In the case of State Electricity Boards/Projects/Undertakings, in the public sector, and the Director Generals "Doordarshan" and All India Radio, New Delhi, import of spares only will be allowed under OGL, provided :—

(i) Import is made against foreign exchange released by the Government for the purpose ;

(ii) In respect of non-permissible spares i.e. those covered by Appendices 3, 4, 15 or 30 of the Import and Export Policy, 1982-83 (Vol. I), indigenous clearance has been obtained from DGTD, New Delhi;

(iii) Where import of any electronic items for a c.i.f. value of Rs. 5 lakhs or more is involved, clearance has been obtained from the Department of Electronics, New Delhi; and

(iv) Necessary evidence of (i), (ii) and (iii) above is produced to the customs authority at the time of clearance.

3. In the case of public sector Industrial Undertaking under the Ministry of Defence, the following provisions will apply :—

(i) Import of raw materials, components, consumables and spares will be allowed under OGL vide items Nos. 1, 3 and 4 of Appendix 10 of the Import and Export Policy, 1982-83 (Vol. I), subject to the conditions laid down therein;

(ii) R&D units will be eligible to import raw materials and other items vide item No. 5 in App. 10 of the Import and Export Policy, 1982-83 (Vol. I), subject to the conditions laid down therein;

(iii) Import of Capital Goods will be allowed only if they appear in Appendix 2 of Import and Export Policy, 1982-83 (Vol. I) and import of jigs and fixtures etc. will be allowed vide item No. 6 in App. 10 of the said Policy.

(iv) Imports of computer spares will be allowed vide item No. 8 in App. 10 of Import and Export Policy, 1982-83 (Vol. I).

(v) Import of items which can be imported by "Actual Users" and/or "All persons" under OGL, vide App. 10 of Import and Export Policy, 1982-83 (Vol. I), where such goods are required as raw materials, components or consumables by the importing industrial units.

(vi) The total value of imports shall not exceed the foreign exchange allocated to the industrial unit concerned by the Ministry of Defence for the purpose of such imports during the year 1982-83; and, at the time of clearance through customs, the importer unit shall submit a declaration to the effect that the value of goods under clearance|already cleared does not exceed the total amount of foreign exchange released for the purpose by the Ministry of Defence to the importing unit concerned in 1982-83.

4. The goods so imported have not been produced or manufactured in the Union of South Africa/South-West Africa.

5. Such goods are shipped on through consignment to India on or before 31-3-1983, or in the case of raw materials, components and consumables, the goods are shipped on or before 30-6-1983 against firm orders for which irrevocable letters of credit are opened on or before 28-2-1983, or, in the case of Capital Goods, spares, these are shipped on or before 30-6-1984 against firm contracts entered into and registered with a foreign exchange dealer (Bank) or before 28-2-1983, without any grace period, whatsoever.

6. Nothing in this Licence shall affect the application to any goods, of any other prohibition or regulation affecting the import thereof, in force, at the time when such goods are imported.

7. The licence does not confer any immunity, exemption or relaxation at any time from an obligation or compliance with any requirement to which the Actual Users (Industrial) may be subject under other laws or regulations. The importers, should comply with the provisions of all other laws applicable to them.

[File No. IPC/3/2/82]

आदेश सं० 15/82

खुला सामान्य लाइसेंस सं० : 15/82

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1982

का०आ० 253 (अ):—. आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा-3 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा इस आदेश से संलग्न अनुसूची में विशिष्टिकृत विवरण के माल का दक्षिण अफ्रीका संघ/दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका को छोड़कर किसी भी देश से भारत आयात करने की सामान्य अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन देती है :—

1. क्रम सं० 1 में शामिल "अध्यापन सहाय" के मामले को छोड़कर इस आदेश से संलग्न अनुसूची में शामिल अन्य सभी मदें किसी भी व्यक्ति द्वारा स्टाक करन और बिक्री करने के उद्देश्य के लिए आयात की जा सकती हैं ;

2. "अध्यापन सहाय" के मामले में आयात की अनुमति केवल मान्यता प्राप्त शैक्षिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और अनुसंधान संस्थानों ; इन संस्थानों के पुस्तकालयों, केन्द्रीय या राज्य सरकार के विभागों, अनुसंधान और विकास कार्यों में लगी हुई औद्योगिक यूनिटों, पंजीकृत चिकित्सकों, अस्पतालों, परामर्शदाताओं, मान्यता प्राप्त वाणिज्य मंडलों, उत्पादकता परिषदों, प्रबंध संघों और व्यावसायिक निकायों को उनके निजी उपयोग के लिए दी जाएगी।

3. शैक्षिक, वैज्ञानिक और तकनीकी पुस्तकों के आयात के मामले में निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी :—

   (क) शिक्षा व समाज कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली से पहले ही लिखित रूप में निकासी की अनुमति लिए बिना एक लाइसेंस अवधि के दौरान एक ही शीर्षक की 1,000 प्रतियों से अधिक के आयात की अनुमति एक ही आयातक (उसकी शाखाओं सहित) को नहीं दी जाएगी । लेकिन, यह प्रतिबंध अंग्रेजी भाषा पुस्तक सोसायटी शीर्षकों और संयुक्त भारत-रूस पाठ्य पुस्तक कार्यक्रम के अन्तर्गत की पुस्तकों के लिए लागू नहीं होगा।

   (ख) विदेशी संस्करण की उन पुस्तकों के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी जिनके भारतीय पुनः मुद्रण के संस्करण उपलब्ध हैं :

   (ग) भारतीय समुद्र-तट के केवल ऐसे नौ-परिवहन संबंधी चार्टों के आयात की अनुमति दी जाएगी जिनकी संख्या हाइड्रो-ग्राफर, भारत सरकार, देहरादून द्वारा विशेष रूप से निकासी कर दी गई हो ;

   (घ) अश्लील सामग्री वाली या यौन चित्रण करने वाली या हिंसा भड़काने वाली पुस्तकों, पत्रिकाओं और समाचार पत्रिकाओं के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

   (ङ) 1978 या इसके बाद में प्रकाशित पुस्तकों के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

   (च) विदेश में प्रकाशित पुस्तकों के अप्राधिकृत पुनः प्रकाशनों के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी । सीमाशुल्क के माध्यम से, निकासी के समय, आयातक यह दर्शाते हुए एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा कि आयातित पुस्तकों में वे पुस्तकें शामिल नहीं हैं, जो आयात-निर्यात नीति, 1982-83 में अनुमेय नहीं हैं ।

4. औषध मदों के मामले में, जहां कहीं आवश्यक हो, औषध एवं शृंगार प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन वैध लाइसेंस रखने की आवश्यकता पूर्ण कर देनी चाहिए ।

5. खजूरों, होम्यो-पैथिक औषधियों कैंसर निरोधक भेषजों, जीवन रक्षक भेषजों और अपरिष्कृत भेषजों के मामले में, परम्परागत छोटे पैकिंग में भी आयात अनुमेय होगा ।

6. अनुसूची की मद सं० 14 और 15 पर उल्लिखित मसालों, और खजूरों के मामले में आयात मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (अनुश्रवण एवं सहायता सेल) उद्योग भवन, नई दिल्ली को निम्नलिखित प्रपत्र में एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा :—

   1. आयातक का नाम और पता
   2. आयात की गई पण्य वस्तु का विवरण
   3. सीमाशुल्क से निकासी की तिथि
   4. आयातित मात्रा
   5. आयात किए गए माल परेषण का कुल लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य
   6. यूनिट कीमत (रुपयों में)

   प्रत्येक तिमाही की रिपोर्ट संबंद्ध तिमाही के अगले महीने की 15 तारीख तक मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात को पहुंच जानी चाहिए

7. इस प्रकार आयात किया गया माल दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका संघ में उत्पादित या विनिर्मित न हो ।

8. ऐसा माल भारत को परेषण के माध्यम से किसी भी रियायती अवधि के बिना 31 मार्च, 1983 को या इससे पहले पोत पर लादा गया हो ।

9. यह लाइसेंस आयात (नियंत्रण आदेश 1955 की अनुसूची-5 में शर्त सं०-1 के भी अधीन होगा।

10. यदि किसी माल के आयात के समय लागू उसके आयात को प्रभावी करने वाला कोई निषेध या विनियम होंगे तो उस पर इस लाइसेंस का कोई प्रभाव नहीं होगा ।

[मि० सं० आई पी सी/3/2/82]

खुला सामान्य लाइसेंस सं० 15/82

के लिए अनुसूची 5 अप्रैल, 1982

1. निम्नलिखित अध्यापन सहाय :

(i) शैक्षिक प्रकृति की माइक्रो-फिल्म और माइक्रोफिपिज

(ii) शैक्षिक प्रकृति के प्री-रिकार्डिड वीडियो और आडियो कैसेट्स, फिल्मस्टिप्स सहित या रहित

2. (i) एल्युमीनियम स्क्रैप/ड्रोज

(ii) ब्रास स्क्रैप/ऐश/ड्रोज

(iii) कापर स्क्रैप/कापर मिल स्केल

(iv) टिन ड्रोज/ऐश/रेजिड्यू/टिन एलाय रेजिड्यूम

(v) जिंक स्क्रैप/जिंक एलाय स्क्रैप/ऐश/ड्रोज/जिंक डस्ट/ग्रैन्युलेशन्स

(vi) निकल सिल्वर स्क्रैप (जर्मन सिल्वर स्क्रैप)

3. बेल टाइपराइटर सहित अन्य व्यक्तियों के लिए अपेक्षित औजार और उपकरण

4. शैक्षिक, वैज्ञानिक और तकनीकी पुस्तकें और पत्रिकाएं, समाचार पत्रिकाएं और समाचार-पत्र

5. चमड़ा कमाने के लिए वैटल छाल

6. वैटल एक्सट्रैक्ट

7. अम्ल मार्जित चमड़ा, खाल, पेल्ट, स्पिलट और उनके भाग

8. चमड़ा और खाल, कच्ची या लवणित, जिस मामले में चमड़े और खाल का मूल्य उन पर ऊन/बालों से अधिक हो

9. क्वैबर-राचो सत्त, चेस्ट-नट सत्त और परिशोधित यूकेलिप्टिस सत्त (मार्टिन)

10. आयात और निर्यात नीति 1982-83 (जिल्द-I) के परिशिष्ट-10 की सूची-2 में आने वाले जीवनदायक उपस्कर उनके फालतू पुर्जे

11. परिवार कल्याण उपस्कर यंत्र उपकरण अर्थात् निम्नलिखित :—

(i) (क) लेपरेसस्कोप :

(ख) कल्ड-स्कोप;

(ग) हाइस्ट्रो-स्कोप;

(घ) वैक्यूम संकशन एपरेट्स;

(ङ) उनके उप-साधित्र और फालतू पुर्जे भी, और

(ii) रबड़ कंट्रा-सेप्टिव (केवल डाय-फागम्स);

(iii) इन्टरो-टेरिन कंट्रा-सेपटिव यंत्र (लिप्पोस लूप और सीयू-टी 200 से भिन्न) रंगीन कंडोम्स, डायाफराम, जेली और फोम टिकियां, भारत के औषध नियंत्रक, नई दिल्ली द्वारा यथा अनुमोदित

12. आयात-निर्यात नीति, 1982-83 (जिल्द-I) के परिशिष्ट-10 की सूची-3 में आने वाले परिष्कृत भेषज प्री-परेशन, जीवन-दायक और कैंसर-रोधी भेषज ;

13. परिष्कृत रूप में होम्योपैथिक औषधियां या मूल रूप में और या किसी भी पोटनसी के होम्योपैथिक भेजष (सिंगल) "दुग्ध चीनी" सहित थोक में और बायो-केमिक औषधियां।

14. आयात-निर्यात नीति 1982-83 (जिल्द-I) के परिशिष्ट-10 की सूची-4 के अनुसार आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियां बनाने के लिए अपेक्षित अपरिष्कृत भेषज (जेड-मोतियों और मोगों के आयात की अनुमति केवल चूर्ण रूप में और केवल गैर-आभूषण किस्म के लिए दी जाएगी ।

15. दाल

16. निम्नलिखित मसाले :—

(i) दाल-चीनी/तेजपाल

(ii) जायफल/जावित्री

(iii) लौंग

17. खजूर (गीले या सूखे) (भारतीय पोत आधानों द्वारा आयातित)

18. सेंधा नमक

19. (1) निम्नलिखित एक्स-रे फिल्में (चिकित्सा)

(i) साफ्ट एन्गियोग्राफिक फिल्में

(ii) कार्पिंग फिल्में (एक्स-रे रेडियोग्राफ कार्पिंग के लिए)

(iii) दन्तय एक्स-रे फिल्म

(iv) बिना स्क्रीन के उपयोग की जाने वाली फिल्में

(v) लो-डोज मेमो-ग्राफिक फिल्में

(vi) मास मिनेएचर फिल्म

(vii) डुप्लीकेटिंग फिल्मों के लिए 35 मि० मि० नेगेटिव और रिवर्सल किस्म की फिल्में

(viii) परसोनल अनुश्रवण फिल्में

(ix) चेन्जर्स के उपयोग के लिए विशेष किस्म की एक्स-रे फिल्में

(2) एरो-ग्राफिक फिल्में

(3) फोटो-टाइप सैटिंग आर सी/स्टेबिलाइजेशन पेपर

(4) मुद्रण उद्योग के लिए थर्मो-ग्राफिक पोलिमिड रेजिंग और एम्बोसिंग पाउडर

(5) माइक्रो-फाइल फिल्में

(6) इन्फ्रा-रैड और अल्ट्रा-वायलैट फिल्में

(7) गुर्दे शल्य चिकित्सा फिल्में

20. हाथ-घड़ी/दीवार घड़ी और टाइम-पीस के लिए स्नेहक तेल

21. बबूल का गोंद

22. विस्कोस फिलामेंट यार्न, 600 डेनियर तक

23. कपरै-मोनियम फिलामेंट यार्न

24. शैक्षणिक और उपदेश संबंधी छोटी फिल्में, यदि वे फिल्में सेंसर बोर्ड द्वारा 'प्रधानतः कथात्मक शैक्षिक" सत्यापित की गई हो।

25. फोटो-ग्राफिक फिल्में (रंगीन)

26. फोटो-ग्राफिक कलर पेपर

27. 120 साइज रोल्स से भिन्न फोटोग्राफिक फिल्में (सादा)

28. भाषा सीखने के लिए रिकार्ड

29. रुद्राक्ष मनके

30. निम्नलिखित सिनेमेटाग्राफिक फिल्में, अन-भिदर्शित :

(1) 8 एम० एम० (रंगीन) और

(2) 8 एम० एम० (सादी नेगेटिव)

31. 1982-83 की आयात-निर्यात नीति (जिल्द-I) के परिशिष्ट-10 में सूची सं० 6 के अनुसार दन्तय सामग्री

32. सौर ऊर्जा उपस्कर

33. बिलियर्ड मेजों के लिए बिलियर्ड क्लाथ, रबड़ कुशन, बिलियर्ड/स्नोकर बाल्स और बिलियर्ड चाक

34. आयात-निर्यात नीति 1982-83 (जिल्द-I) के परिशिष्ट-3, 4, 5, 15 और 30 में दर्शाए गए से भिन्न निम्नलिखित के फालतू पुर्जे :—

(1) मुद्रण मशीनरी

(2) मशीनी औजार, धातु, लकड़ी, कांच और प्लास्टिक को काटने, रूप देने, घिसने और पालिस करने के लिए, किसी भी मानक या अनुषंगी उपस्कर सहित और

(3) सिनेमेटोग्राफिक उपस्कर ।

ORDER NO. 15|82

OPEN GENERAL LICENCE NO. 15|82

New Delhi, the 5th April, 1982

S.O. 253(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby gives general permission to import into India from any country except the Union of South Africa/South West Africa, goods of the description specified in the Schedule annexed to this Order, subject to the following conditions :—

(1) Except in the case of "Teaching Aids" covered by Serial No. 1, all other items covered by the Schedule Annexed to this Order, may be imported by any person, for stock and sale purposes;

(2) In the case of "Teaching Aids", import will be allowed only by recognised educational, scientific, technical and research institutions, libraries of such institutions, Central or State Government Departments, industrial units engaged in research and Development work, registered medical institutions, hospitals, consultants, recognised chambers of Commerce, productivity councils, management Associations and professional bodies, for their own use;

(3) In the case of import of educational, scientific and technical books, the following conditions shall apply :—

(a) Import will not be permitted by any one importer (including his branches) of more than 1000 copies of a single title during the licensing period without the prior written clearance of the Ministry of Education and Social Welfare, New Delhi. This restriction will not, however, apply to the English language Books, Society titles and books under the Joint Indo-Soviet Text Book Programme ;

(b) Import of foreign edition of books for which editions of Indian reprints are available will not allowed ;

(c) Import of only such navigational charts of Indian coastlines will be allowed as are specifically cleared by the Chief Hydrographer to the Government of India, Dehradun ;

(d) Books, magazines and journals, containing pronographic materials or depecting sex, violence etc. will not be allowed to be imported.

(e) Import of books, published in 1978 or after will not be allowed.

(f) Import of unauthorised reprints of books published abroad will not be allowed. At the time of clearance through customs, the importer shall furnish declaration to the effect that the books imported do not include those which are not allowed as Import-Export Policy, 1982-83.

(4) In the case of drug items, the requirements regarding possession of a valid licence under the Drugs and